

इसे वेबसाइट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2025—पौष 20, शक 1946

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद में पुरस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2024

क्र. ई-1-175-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए आवंटन वर्ष 2001 के भाप्रसे अधिकारियों को भाप्रसे के प्रमुख सचिव वेतनमान रूपये 1,82,200—2,24,100/- (पे-मेट्रिक्स-15) में पदोन्नत करते हुऐ, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है:—

#### तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. नवनीत मोहन कोठारी सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक, एप्को (अतिरिक्त प्रभार)	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक, एप्को (अतिरिक्त प्रभार)

51

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.

(1)

(2)

(3)

2. श्री पी. नरहरि  
सचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

### विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2024

क्र. 5067-2024-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी का स्थानांतरण तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इंदौर के रिक्त पद पर एवं डॉ. सुधांशु सक्सेना, अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर का स्थानांतरण पांचवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सागर को श्री मयंक कुमार शुक्ला के स्थान पर होने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2024

पंजी क्र. 5060-2024-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री प्रियंक दुबे, उप कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस ट्रासदी, भोपाल का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में श्री लोकेश तारण के स्थान पर किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्वारा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को सौंपता है।

पंजी क्र. 5064-2024-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री आशीष श्रीवास्तव (सीनियर), उप-सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल का स्थानांतरण नियमित न्यायालय के रिक्त स्थान पर किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्वारा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2025

फा. क्र. 16-2025-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, विभागीय आदेश फा. क्रमांक 5853-2023-इक्कीस-ब(एक), भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2023, जिसके अन्तर्गत उच्च न्यायालय की अनुशंसा से श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा, पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ

खण्ड, इंदौर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 के नियम (15(2) अनुसार सूचना प्राप्ति दिनांक से लोकहित में सेवानिवृत्त किया गया था की निरंतरता में श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा, पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, इंदौर को तत्काल सेवानिवृत्ति की स्थिति में सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के नियम 42(1) (ख) के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिनांक 21 दिसम्बर 2023 से सूचना प्राप्ति के उपरान्त 03 माह के वेतन एवं भत्ते, जो वह अपने सेवानिवृत्ति से ठीक पहले प्राप्त कर रहे थे के भुगतान की अनुमति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

### पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2024

क्र. F 4-2-6-0008-2024-तेंतीस.—पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 शासनादेश क्र. एफ 10-62-2016-तेंतीस, भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2019 द्वारा जारी की गई थी जिसकी प्रभावशीलता की अवधि 05 वर्ष थी।

अतः पर्यटन नीति, 2016 संशोधित 2019 की प्रभावशीलता की अवधि दिनांक 16 अक्टूबर 2024 से आगामी आदेश तक बढ़ाई जाती है।

जगदीश कुमार गोमे, उपसचिव.

### ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2025

क्र. 163-आर-2195683-2024-तेरह.—विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 85 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्वारा,

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल का चयन करने के लिए निम्नानुसार चयन समिति का गठन करता है :—

- (क) न्यायमूर्ति श्री रूपेश चन्द्र वार्षेय, — अध्यक्ष माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के सेवानिवृत्त न्यायाधीश.
- (ख) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन — सदस्य
- (ग) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण — सदस्य

नीरज मण्डलोई, अपर मुख्य सचिव.

**श्रम विभाग**  
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2025

क्र. 06-2461411-2024-ए-सोलह.—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि राज्य सरकार, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) की धारा 9 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (9) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप अधिसूचना पर विचार किया जाएगा।

किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में, किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उससे पूर्व में प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

### संशोधन का प्रारूप

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) की धारा 9 में, उपधारा (2) में,—

- (क) शब्द "तीस रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास रुपये" स्थापित किये जाएं;
- (ख) परन्तुक में, शब्द "एक हजार पाँच सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "दो हजार पाँच सौ रुपये" स्थापित किये जाएं।

No. 06-2461411-2024-A-XVI.—The following draft of notification which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (9) of Section 9 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983), is hereby published as required by sub-section (9) of Section 9 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft notification on or before the expiry of the period specified above, shall be considered by the State Government.

### DRAFT OF AMENDMENT

In Section 9 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983), in sub-section (2),—

- (i) for the words "thirty rupees", the words "fifty rupees" shall be substituted;
- (ii) In the provision for the words "one thousand five hundred rupees" the words, "two thousand five hundred rupees" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रत्नाकर झा, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2025

क्र. 74-2455754-2024-ए-सोलह.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 की उपधारा (2) सह-पठित मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (2) एवं कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है :—

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम	श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1	श्री प्रसन्न सिंह बहरावत	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, देवास.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रत्नाकर झा, अपर सचिव.

### श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2025

**क्रमांक/भसकम/स्थापना/2024/..19.....:-** म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) नियम 2002 के नियम 266 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मण्डल की सेवा में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भर्ती के लिये पूर्व में अधिसूचना क्रमांक भसकम-स्था-भनि-12-547, दिनांक 9 मार्च 2012 द्वारा अधिसूचित म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल सेवायें (भर्ती तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2011 में राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से निम्नानुसार कण्ठिकायें एतद् द्वारा जोड़ी जाती हैं:-

#### संशोधन

उक्त नियमों में नियम (8), उपनियम (1)(ट) के पश्चात निम्नानुसार कण्ठिका जोड़ी जाती हैः-

- (8)(1)(ठ).** संविदा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिये निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे-
1. विभाग में नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक निरंतर संविदा आधार पर नियुक्त रहा हो। संविदा पद से नियमित पद की समकक्षता का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र यथास्थिति जिला अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
  2. यदि किसी संविदा अधिकारी ने एक ही संविदा पद पर कार्य न करते हुए विभिन्न संविदा पदों पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा, जो राज्य शासन द्वारा नियमित पद के समकक्षता निर्धारण के पश्चात् 05 वर्ष की अवधि में निम्नतम श्रेणी का रहा हो।
  3. अगर किसी संविदा अधिकारी को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना, सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।
  4. किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्त अधिकारी के द्वारा मण्डल द्वारा विज्ञप्ति पद पर आवेदन कर सकेगा, जो नियमित पद हेतु समकक्षता एवं अर्हता रखता हो।

5. नियमित नियुक्ति होने की स्थिति में संविदा अधिकारी को पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।
6. संविदा अधिकारी के लिए आरक्षित किए गए नियमित पदों पर भर्ती की पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा, इस हेतु नियुक्तिकर्ता द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारण किया जा सकेगा।
7. संविदा अधिकारी एक अथवा एक से अधिक प्रकार के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में संविदा पद के जिस समकक्ष नियमित पद पर वह नियुक्त हेतु आवेदन करता है उसके बराबर या उच्चतर संविदा पर यह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी। आयु संबंधी समस्त छूट सम्मिलित करते हुए संविदा अधिकारी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
8. संविदा अधिकारियों के लिए समकक्ष नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित पद उस स्थिति में अन्य उम्मीदवारों से भरे जाएंगे, जिन पदों को भरे जाने के लिए विहित पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के पालन उपरांत पर्याप्त संख्या में संविदा अधिकारी अंतिम रूप से चयनित अथवा उत्तीर्ण नहीं हो पाते। संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित पद रिक्त रहने की दशा में कैरी फारवर्ड नहीं किए जाएंगे।
9. नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

इसी प्रकार नियम (8), उपनियम (4)(ग) के पश्चात निम्नानुसार कण्डिका जोड़ी जाती है:-

**(8)(4)(घ).** सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50 प्रतिशत तक के पद (दोनों में से जो कम हो), संविदा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इन निर्देशों के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (ज्वार्डनिंग) उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी।"

**क्रमांक/अ.श.गा./स्थापना/2024/..21.....:-** म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल (मंडल कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 2022 म.प्र. राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2023 में अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी 2023 के माध्यम से अधिसूचित किये गये थे। राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से इन नियमों में निम्नानुसार कण्डिकार्य एतद् द्वारा जोड़ी जाती हैः-

### संशोधन

उक्त नियमों में नियम (5) में निम्नानुसार उपनियम जोड़ा जाता हैः-

- (5)(अ). सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50 प्रतिशत तक के पद (दोनों में से जो कम हो), संविदा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इन निर्देशों के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (ज्वार्डिनिंग) उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी।"
- (5)(ब). संविदा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिये निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे-
1. विभाग में नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक निरंतर संविदा आधार पर नियुक्त रहा हो। संविदा पद से नियमित पद की समकक्षता का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र यथास्थिति जिला अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
  2. यदि किसी संविदा अधिकारी ने एक ही संविदा पद पर कार्य न करते हुए विभिन्न संविदा पदों पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा, जो राज्य शासन द्वारा नियमित पद के समकक्षता निर्धारण के पश्चात् 05 वर्ष की अवधि में निम्नतम श्रेणी का रहा हो।
  3. अगर किसी संविदा अधिकारी को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना, सेवा से पथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।

4. किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्त अधिकारी के द्वारा मडल द्वारा विजप्त पद पर आवेदन कर सकेगा, जो नियमित पद हेतु समकक्षता एवं अर्हता रखता हो।
5. नियमित नियुक्ति होने की स्थिति में संविदा अधिकारी को पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।
6. संविदा अधिकारी के लिए आरक्षित किए गए नियमित पदों पर भर्ती की पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा, इस हेतु नियुक्तिकर्ता द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारण किया जा सकेगा।
7. संविदा अधिकारियों के लिए समकक्ष नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित पद उस स्थिति में अन्य उम्मीदवारों से भरे जाएंगे, जिन पदों को भरे जाने के लिए विहित पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के पालन उपरांत पर्याप्त संख्या में संविदा अधिकारी अंतिम रूप से चयनित अथवा उत्तीर्ण नहीं हो पाते। संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित पद रिक्त रहने की दशा में कैरी फारवर्ड नहीं किए जाएंगे।
8. नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. समस्त प्रकार की सीधी भर्तियों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

इसी प्रकार नियम (15) में निम्नानुसार उपनियम जोड़ा जाता है:-

- 15.2** संविदा अधिकारी एक अथवा एक से अधिक प्रकार के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में संविदा पद के जिस समकक्ष नियमित पद पर वह नियुक्ति हेतु आवेदन करता है उसके बराबर या उच्चतर संविदा पर यह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी। आयु संबंधी समस्त छूट सम्मिलित करते हुए संविदा अधिकारी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

## वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 दिसम्बर 2024

**क्रमांक/क्रमांक:** 135/2024/PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

### अनुसूची

जिला - खण्डवा  
वनमंडल - खण्डवा (सा.)

तहसील - खण्डवा  
वन परिषेक - खण्डवा (सा.)

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	सुरणाव निपानी	सुरणाव निपानी	शासकीय भूमि (पैर-वनभूमि)	13	12.81	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 31 तक की सीमा।
				20	9.91	
				31	11.03	
				32/2	1.22	पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 31 से 42 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				33	20.0	
				34	20.0	
				35	20.14	
				50	20.0	दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 42 से मुनारा 56 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				51/2	15.75	
				52/2	17.89	
				37	20.0	
				49	16.0	
				215-आग	18.60	पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 56 से 59 होते हुए 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				36/2	10.0	
				32/1/2	5.780	
				36/1	9.560	आंतरिक सीमाएं (खसरा नंबर 39/1)
				39/2	3.000	
				योग	231.69	उत्तर - मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						पश्चिम - मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						दक्षिण - मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						पूर्व - मुनारा क्रमांक 04 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F.No.8-34/2018-FC दिनांक 31.10.2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग खण्डवा की स्वीकृत परियोजना भाम मध्यम सिंचाई योजना में प्रभावित 148.75 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 148.75 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 148.75 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 50-अ-59/2016-17 खण्डवा, दिनांक 22.08.2017 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F.No.8-35/2018-FC दिनांक 03.07.2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग खण्डवा की स्वीकृत परियोजना आंवलिया मध्यम सिंचाई योजना में प्रभावित 54.60 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 54.60 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 54.60 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 53-अ-59/2016-17/13939 खण्डवा, दिनांक 27.09.2017 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6-MPC 024/2020-BHO/768 दिनांक 31.08.2020 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग भोपाल की स्वीकृत परियोजना आचार्य शंकर अन्तर्राष्ट्रीय वेदान्त संस्थान ओंकारेश्वर जिला खण्डवा में प्रभावित 10.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 10.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 10.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 22-अ-59/2019-20 खण्डवा, दिनांक 28.08.2019 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6-MPC 022/2022-BHO दिनांक 12.09.2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग भोपाल की स्वीकृत परियोजना आचार्य शंकर अन्तर्राष्ट्रीय वेदान्त संस्थान ओंकारेश्वर की स्थापना एवं अन्य कार्य के लिये जिला खण्डवा में प्रभावित 17.28 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 18.34 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 18.34 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 41-अ-59/2021-22 खण्डवा, दिनांक 04.02.2022 एवं आदेश क्रमांक 40-अ-59/2023-24 खण्डवा दिनांक 01.09.2023 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
5. अन्य कारणों का विवरण - निरंक
  - (ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-
    1. व्यक्तिगत अधिकार: - निरंक
    2. सामुदायिक अधिकार: - निरंक

अतः उक्त भूमि को भास्तीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 25 दिसम्बर 2024

क्र. 135-2024-PCCF.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 135-2024-PCCF दिनांक 25 दिसम्बर 2024 का अग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

Bhopal the 25<sup>th</sup> December 2024

**No./क्रमांक:** 135/2024/PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

### **SCHEDULE**

**District** :- Khandwa

**Tahsil** :- Khandwa

**Forest Division:-** Khandwa (G)

**Forest Range :-** Khandwa (G)

S.N	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (H.)	
1.	Surgao Nipani	Revenue Village Surgao Nipani	Government Land (Non Forest Land)	13 20 31 32/2 33 34 35 50 51/2 52/2 37 49 215-part 36/2 32/1/2 36/1 39/2 Total	12.81 9.91 11.03 1.22 20.0 20.0 20.14 20.0 15.75 17.89 20.0 16.0 18.60 10.0 5.780 9.560 3.000 231.69	North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 31 of Proposed Protected Forest Block.  East - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 31 to 42 of Proposed Protected Forest Block.  South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 42 to 56 of Proposed Protected Forest Block.  West – Artificial Forest Boundary from Pillar No. 56 to 01 via 59 of Proposed Protected Forest Block

1.	Surgao Nipani	Revenue Village Surgao Nipani	Government Land (Non Forest Land)	13 20 31 32/2 33 34 35 50 51/2 52/2 37 49 215-part 36/2 32/1/2 36/1 39/2 Total	12.81 9.91 11.03 1.22 20.0 20.0 20.14 20.0 15.75 17.89 20.0 16.0 18.60 10.0 5.780 9.560 3.000 231.69	North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 31 of Proposed Protected Forest Block.  East - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 31 to 42 of Proposed Protected Forest Block.  South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 42 to 56 of Proposed Protected Forest Block.  West – Artificial Forest Boundary from Pillar No. 56 to 01 via 59 of Proposed Protected Forest Block
----	---------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	---	---

					Internal Boundaries of Khasra No. 39/1.
					North- Artificial Forest Boundary Pillar No. 01 to 02.
					West- Artificial Forest Boundary Pillar No. 02 to 03.
					South- Artificial Forest Boundary Pillar No. 03 to 04
					East- Artificial Forest Boundary Pillar No. 04 to Pill01.

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order F.No.8-34/2018-FC dated 31.10.2018 and in lieu of 148.75 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Bham Medium Irrigation Project of Water Resources Division Khandwa the above mentioned Non Forest Land of 148.75 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No.-50-A-59/2016-2017 Dated 22.08.2017 Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation.
2. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order F.No.8-35/2018-FC dated 03.07.2018 and in lieu of 54.60 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Awlia Medium Irrigation Project of Water Resources Division Khandwa the above mentioned Non Forest Land of 54.60 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No.53-A-59/2016-17/13939 Dated 27.09.2017 Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation.
3. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order F.No.6-MPC 024/2020-BHO/768 dated 31.08.2020 and in lieu of 10.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Acharya Shankar Antarrashtriya Vedant Sansthan of The Assistant Director Govt. of M.P. Culture Department Bhopal the above mentioned Non Forest Land of 10.00 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No./22/A-59/2019-20/Reader Coll./2019 Dated 28.08.2019 Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation.
4. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order F.No.6-MPC 022/2022-BHO/ dated 12.09.2023 and in lieu of 17.28 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Acharya Shankar Antarrashtriya Vedant Sansthan of The Assistant Director Govt. of M.P. Culture Department Bhopal the above mentioned Non Forest Land of 18.34 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No./41/A-59/2021-22/Reader Coll./2022 Dated 04.02.2022 and order No./40/A-59/2023-24/Reader Coll./2023 Dated 01.09.2023 Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation.
5. Details of other Reasons- Nil

**(B)** The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report of Tahsildar Khandwa are as under.

1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights – Nil

**Therefore the above land is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2025

क्रमांक/I/201148/2025 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

**अनुसूची****जिला - अशोकनगर****वनमण्डल - सामान्य वनमण्डल अशोकनगर****तहसील - ईसागढ़  
वनपरिषेत्र - अशोकनगर**

अ.क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मूद	खसरा नं.	संत्रफल (हेक्टेयर्स)	
1.	बघनरी	बघनरी	राजस्व (शासकीय)	538 (भाग)	3.890	उत्तर - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्र 02 तक की कृत्रिम वन सीमा।  पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से मुनारा क्र 03 तक की कृत्रिम वन सीमा।  दक्षिण - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से मुनारा क्र 04 तक की कृत्रिम वन सीमा।  पश्चिम - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से मुनारा क्र 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।

(क) आधेसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 6-MPB 062/2023-BHO/I/74901 दिनांक 18.06.24 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई गुना (म.प्र.) की स्वीकृत परियोजना जल जीवन मिशन अंतर्गत राजधानी समूह जल प्रदाय योजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन, एम.बी.आर. तथा पहुंच मार्ग में प्रभावित 3.885 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 3.890 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 3.890 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला-अशोकनगर के आदेश क्रमांक प्रकरण क्रमांक/272/अ-20(3)/2022-23 दिनांक 12.06.2023 हस्तारित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी के प्रतिवेदन क्रमांक/दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- वितरण नहीं किये गये हैं।

(ब) सामुदायिक अधिकार:- वितरण नहीं किये गये हैं।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2025

क्र. I-201148-2025.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. I-201148-2025, दिनांक 2 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

Bhopal the 2<sup>nd</sup> January 2025

No./I/201148/2025 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act, 1927(XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

### SCHEDULE

**District :- Ashoknagar**

**Tahsil :- Esagarh**

**Forest Division :- Ashok Nagar(T) Division**

**Forest Range :- Ashoknagar**

<b>S.No.</b>	<b>Name of Proposed Forest Block</b>	<b>Detail of Land Included</b>				<b>Forest Block Boundaries</b>
		<b>Name of Village</b>	<b>Present head of land</b>	<b>Khasra No.</b>	<b>Area (Hectare)</b>	
1.	Baghnari	Baghnari	Revenue (Government)	538 (Part)	3.890	North - Artificial Boundary from Piller No. 01 to 02 of Proposed Protected Forest Block. East - Artificial Boundary from Piller No. 02 to 03 of Proposed Protected Forest Block. South - Artificial Boundary from Piller No. 03 to 04 of Proposed Protected

						West	Forest Block. Artificial Boundary from Piller No. 04 to 01 of Proposed Protected Forest Block.
--	--	--	--	--	--	------	--

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt of India, New Delhi order No. 6-MPB 062/2023-BHO/I/74901 dated 18.06.24 and in lieu of 3.885 hectare of diverted forest land under the sanctioned project of General Manager, Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadit, Project Implementation Unit, Guna (M.P.), for under ground pipe line, M.B.R and approach road construction under Rajghat Water Supply Scheme under Jal Jivan Mission, the above mentioned non forest land of 3.890 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No./272/3-20(3)/2022-23 dated 12.06.2023 of Collector, District-Ashoknagar for the purpose of compensatory afforestation.

2. Detail of other Reasons - Nil

2.- The Khasra wise details of rights recorded on the above land as per report competent revenue official are as under:-

1. Right of individuals :- Nil
2. Right of communities :- Nil

**Therefore the above land is being declared as Protected Forest under section 29 of The Indian Forest Act 1927.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2025

**क्रमांक/V201763/2025::** भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावश्यन/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायें।

**अनुसूची**तहसील - तेलुखेड़ा  
वन परिषेत्र - तेलुखेड़ाजिला - दमोह  
वनमण्डल - दमोह सामान्य

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.मे.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	अमवाही आ	अमवाही	म.प्र. शासन वन विभाग शासकीय भूमि मद- बडा शाड	29/2	21.84	उत्तर- प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 7 तक की कृत्रिम कनसीमा। पूर्व - प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से मुनारा क्रमांक 9 तक की कृत्रिम कनसीमा। दक्षिण- प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से 11 होते हुये आरक्षित वनखण्ड 62 बगदरी के मुनारा क्रमांक 111/1 तक की कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम- आरक्षित वनखण्ड 62 बगदरी के मुनारा क्रमांक 111/1 से 109/1 तक की वनसीमा व आरक्षित वनखण्ड 62 बगदरी के मुनारा क्रमांक 109/1 से प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 तक कृत्रिम वनसीमा।
					योग-	21.84

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 6-MPC022/2018-BHO/124 दिनांक 03-05-2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यापालनयन्त्री पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा, मुख्यालय (जल संसाधन विभाग) दमोह की स्वीकृत परियोजना साजली मध्यम सिंचाई जलाशय परियोजना में प्रभावित 10.92 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 21.84 हेक्टेयर गैरवनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में क्लेक्टर दमोह के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./19आ/59 वर्ष 2016-17 दिनांक 06-09-2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किए जाने के कारण।

- अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार तेलुखेड़ा, जिला-दमोह के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

- सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत सरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2025

क्र. I-201763-2025.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. I-201763-2025 दिनांक 6 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

Bhopal the 6<sup>th</sup> January 2025

No./I/201763/2025 :: In exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District – Damoh

Forest Division – Damoh

Tehsil – Tendukheda

Forest Range – Tendukheda

NO.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra no.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Amwahi A	Amwahi	M.P. Govt. Forest department Govt. land Measle – Bada Jhad	29/2	21.84	North – Artificial Forest Boundary from Pillar No. 3 to 7 of Proposed Protected Forest Block. East – Artificial Forest Boundary from Pillar No. 7 to 9 of Proposed Protected Forest Block. South – Artificial Forest Boundary from Pillar No. 9 through 11 of Proposed Protected Forest Block to Pillar No. 111/1 of Reserve Forest block 62 Bagdari. West- Forest Boundary from Pillar No. 111/1 to 109/1 of Reserve Forest block 62 Bagdari and Artificial Forest Boundary from Pillar No. 109/1 of Reserve Forest block 62 Bagdari to Pillar No. 3 of Proposed Protected Forest Block.
				Total-	21.84	

(A) Reason for publication of Notification :-

According to the condition imposed in the order number 6-MPC022/2018-BHO/124 dated 03-05-2018, Ministry of Environment, Forest and Climate Change , Government of India, New Delhi 10.92 hectares of forest land affected in the approved project Saajli medium irrigation reservoir construction project of Executive Engineer, Panchamnagar, Project Survey Division, Hata, Headquarter (Water Resources Department) Damoh. and in lieu of diverted 10.92 hectare forest land 21.84 hectares of non-forest land received by order of Collector Damoh No./R.P.Cr./19A/59 year 2016-17 dated 06-09-2017 transferred/mutated in favor of Forest Department, Government of Madhya Pradesh for purpose of compensatory afforestation.

Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tahsildar- Tendukheda District Damoh are as under:-

1. Individuals of Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Communities of Rights - There are no Communities rights on the said land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2025

**क्रमांक एफ 1/1/0001/2023/सात-5 - आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) सहपठित आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम 2020 के अनुसरण में भारत सरकार (इलेक्ट्रॉनिकली और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) अपने कार्यालय जापन क्रमांक 13(2)-2021-EG-II, दिनांक 12 मई 2023 द्वारा सक्षम प्राधिकारी के प्राप्त अनुमोदन के अनुक्रम में, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग को उक्त नियमों के नियम 5 के अधीन, स्वैच्छिक आधार पर भू-अभिलेखों, संबंधित न्यायालयों की कार्यवाहियों एवं अभिलेखों तथा संबंधित बकाया के भुगतान के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभागीय ऑनलाईन पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण कर, नागरिकों की पहचान के सत्यापन हेतु, हों या ना अथवा / और ई-केवाईसी के प्रमाणीकरण की सुविधा, उक्त नियम-5 के अधीन अधिसूचित करने हेतु अवगत कराया गया है।**

अतएव इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1/1/0001/2023/सात-5 दिनांक 1 दिसम्बर, 2023 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 15 दिसम्बर 2023 में प्रकाशित हुई, को अधिक्रमित करते हुये, राज्य सरकार, एतदद्वारा, उक्त नियमों के नियम-5 के अधीन, अधिसूचित करती है कि राजस्व विभाग के पोर्टल पर स्वैच्छिक आधार पर भू-अभिलेखों, एग्रीस्टैक, संबंधित न्यायालयों की कार्यवाहियों एवं अभिलेखों तथा संबंधित बकाया के भुगतान के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उक्त विभागीय ऑनलाईन पोर्टल पर, नागरिकों की पहचान के प्रमाणीकरण के लिए हों या ना अथवा / और ई-केवायसी के प्रमाणीकरण की सुविधा हेतु आधार से प्रमाणीकरण की मांग की जा सकती है।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2025

**क्र. एफ 1-1-0001-2023-सात-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1-0001-2023-सात-5, दिनांक 8 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय कुमार, अपर सचिव.

Bhopal the 8<sup>th</sup> January 2025

No. F 1/1/0001/2023/VII/5. - In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) read with the Aadhar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation Knowledge) Rules, 2020, the Government of India (Ministry of Electronics and Information Technology) *vide its office memo No. 13(2)-2021-EG-II dated 12<sup>th</sup> may, 2023*, has, with the approval of the Competent Authority, conveyed authorization by the Central Government for the Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, to notify under rule 5 of the said Rules, regarding performance of Aadhar authentication, on a voluntary basis for verification of identity of residents, using Yes/No or / and e-KYC authentication facility on the Department's online portal for provision of various services related to land records, associated court proceedings and records, and payment of related dues.

Now, therefore, Supersession of this department's notification No.F 1/1/0001/2023/VII/5 dated 1<sup>st</sup> December, 2023 published in Madhya Pradesh Gazette Part-1 on 15<sup>th</sup> December, 2023 the State Government, hereby notifies that the, Portals of Revenue Department, Madhya Pradesh can seek, Aadhar authentication on voluntary basis for the purpose of identification as per rule 5 of the said Rules, for verification of identity of Citizens, using Yes/No or/and e-KYC authentication facility on the said portal for provisions of various services related to land records. Agristack, associated court proceedings and records, and payment of related dues.

This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANJAY KUMAR, Addl. Secy.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 26 दिसम्बर 2024

प्र. क्र. 1030.—भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग सतना अंतर्गत महिदल से कठार को जोड़ने हेतु महिदल से कठार मार्ग में करियारी नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य हेतु ग्राम-कठार, तहसील हुजूर स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 19 दिसम्बर 2024 से एक वर्ष की अवधि के भीतर भू-अर्जन का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में समय पर ना होने के कारण भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी। अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (7) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल हेक्टेयर में	खसरा नं.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रीवा	हुजूर	कठार	58 59/3 60/2 61	0.068 0.034 0.024 0.024 योग . .	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (म. प्र.).	सतना जिले के महिदल से कठार को जोड़ने हेतु महिदल से कठार मार्ग में पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य.
				0.150		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, हुजूर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

#### प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए)

सागर, दिनांक 17 दिसम्बर 2024

क्र. 0004अ-82-24-25-भू-अर्जन-2024-10797

मौजा मण्डी बामौरा, पट.ह.न.-65 तहसील बीना

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:—

(1) परियोजना विकासक का नाम	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर.
(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	सागर जिले में भोपाल-बीना रेलवे सेक्षन के कि. मी. 957/16-18 में समपार क्रमांक 300 (मण्डी बामोरा) पर कुरवाई-गुदावल मार्ग के कि. मी. 7/10 में आर. ओ. बी. निर्माण कार्य.
(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाधात निर्धारण दल के विवरण :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बीना</li> <li>2. राजस्व निरीक्षक, बीना</li> <li>3. सरपंच, ग्राम पंचायत, मण्डी बामोरा, वि. ख. बीना</li> <li>4. सचिव, ग्राम पंचायत मण्डी बामोरा, वि.ख. बीना</li> </ol>
(4) भूमि का विवरण :—	
(क) जिला	सागर
(ख) तहसील	बीना
(ग) ग्राम / नगर	मण्डी बामोरा
(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र	1.150 हे.
(ड) अर्जित होने वाला क्षेत्र	1.150 हे.
(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	सागर जिले में भोपाल-बीना रेलवे सेक्षन के कि. मी. 957/16-18 में समपार क्रमांक 300 (मण्डी बामोरा) पर कुरवाई-गुदावल मार्ग के कि. मी. 7/10 में आर. ओ. बी. निर्माण कार्य.
(6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	1.150 हे.
(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8) सामाजिक समाधात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

सागर, दिनांक 29 नवम्बर 2024

क्र. 0013अ-82-24-25-भू-अर्जन-2024-10205

मौजा मोतीपार, पट.ह.न.-45 तहसील रहली

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:—

(1) परियोजना विकासक का नाम	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, सागर, जिला सागर
(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत शीष कार्य एवं डूब क्षेत्र निर्माण.
(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाधात निर्धारण दल के विवरण	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रहली</li> <li>2. राजस्व निरीक्षक, रहली</li> <li>3. सरपंच, ग्राम पंचायत, हिनौती, वि. ख. रहली</li> <li>4. सचिव, ग्राम पंचायत हिनौती वि.ख. रहली</li> </ol>

(4) भूमि का विवरण :—	
(क) जिला	सागर
(ख) तहसील	रहली
(ग) ग्राम / नगर	हिनौती
(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र	136.040 हे.
(ङ) अर्जित होने वाला क्षेत्र	136.040 हे.
(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत
(6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	900.00 हे.
(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8) सामाजिक समाधात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

क्र. 0014अ-82-24-25-भू-अर्जन-2024-10206

मौजा छिरारी, पट.ह.नं.-42 तहसील रहली

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:—

(1) परियोजना विकासक का नाम	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, सागर, जिला सागर
(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य एवं ढूब क्षेत्र निर्माण.
(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाधात निर्धारण दल के विवरण	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रहली</li> <li>2. राजस्व निरीक्षक, रहली</li> <li>3. सरपंच, ग्राम पंचायत, छिरारी, वि. ख. रहली</li> <li>4. सचिव, ग्राम पंचायत छिरारी, वि.ख. रहली</li> </ol>
(4) भूमि का विवरण :—	
(क) जिला	सागर
(ख) तहसील	रहली
(ग) ग्राम / नगर	छिरारी
(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र	51.760 हे.
(ङ) अर्जित होने वाला क्षेत्र	51.760 हे.
(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत
(6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	900.00 हे.
(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8) सामाजिक समाधात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

सागर, दिनांक 3 दिसम्बर 2024

क्र. 0016अ-82-24-25-भू-अर्जन-2024-10280

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:—

(1) परियोजना विकासक का नाम	मौजा हिनौती, पट.ह.न.-45, तहसील रहली
<b>राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:—</b>	
(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, सागर, जिला सागर
(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाधात निर्धारण दल के विवरण	कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र निर्माण.
(4) भूमि का विवरण :—	1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रहली 2. राजस्व निरीक्षक, रहली 3. सरपंच, ग्राम पंचायत, हिनौती, वि. ख. रहली 4. सचिव, ग्राम पंचायत हिनौती, वि.ख. रहली
(क) जिला	सागर
(ख) तहसील	रहली
(ग) ग्राम / नगर	हिनौती
(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र	33.12 हे.
(ड) अर्जित होने वाला क्षेत्र	33.120 हे.
(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत
(6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	900.00 हे.
(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8) सामाजिक समाधात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख.	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

सागर, दिनांक 5 दिसम्बर 2024

क्र. 0017अ-82-24-25-भू-अर्जन-2024-10388

मौजा मढ़खेरा, पट.ह.न.-45, तहसील रहली

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:—

(1) परियोजना विकासक का नाम	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, सागर, जिला सागर
<b>राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:—</b>	
(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र निर्माण.
(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाधात निर्धारण दल के विवरण	1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रहली 2. राजस्व निरीक्षक, रहली 3. सरपंच, ग्राम पंचायत, हिनौती, वि. ख. रहली 4. सचिव, ग्राम पंचायत हिनौती, वि.ख. रहली

(4)	भूमि का विवरण :—	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	रहली
(ग)	ग्राम / नगर	मढ़खेरा
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	84.440 हे.
(ङ)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	84.440 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	900.00 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाधात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख.	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

सागर, दिनांक 6 दिसंबर 2024

क्र. 0015आ-82-24-25-भू-अर्जन-2024-10395

मौजा समनापुर, बेरखेरी, पट.ह.न.-45, तहसील रहली

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:—

(1)	परियोजना विकासक का नाम	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, सागर, जिला सागर
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र निर्माण.
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाधात निर्धारण दल के विवरण	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रहली</li> <li>2. राजस्व निरीक्षक, रहली</li> <li>3. सरपंच, ग्राम पंचायत, हिनौती, वि. ख. रहली</li> <li>4. सचिव, ग्राम पंचायत हिनौती, वि.ख. रहली</li> </ol>
(4)	भूमि का विवरण :—	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	रहली
(ग)	ग्राम / नगर	समनापुर बेरखेरी
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	96.460 हे.
(ङ)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	96.460 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	900.00 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाधात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख.	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

संदीप जी. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी, मध्यप्रदेश एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश उज्जैन, दिनांक 26 दिसम्बर 2024

**प्रारूप-“घ”**

(नियम 6 देखिए)

क्र.-भू-अर्जन-2024-4226-प्र. क्र. 10-अ-82-2024-25.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2023) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-2024-25 दिनांक 25 अक्टूबर 2024 द्वारा, राज्य सरकार के कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के लिए ग्राम जमालपुरा तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन से ग्राम सिंगावदा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत, पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 8 नवम्बर 2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

**अनुसूची**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जानी वाली भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम जमालपुरा पटवारी हल्का क्रमांक 26	314/1	0.65
			कुल योग . .	<u>0.65</u>

**प्रारूप-“ख”**

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र.-भू-अर्जन-2024-4232-प्र. क्र. 13-अ-82-2024-25.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कान्ह डायवर्शन डक्ट परियोजना के अन्तर्गत कान्ह नदी के दूषित पानी की निकासी हेतु ग्राम जमालपुरा, तहसील उज्जैन से ग्राम सिंगावदा तहसील घट्टिया तक डक्ट निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए।

और, अतएव राज्य सरकार को उक्त डक्ट निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें डक्ट निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है। उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इव्वकोस दिवस के भीतर, केबल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जानी वाली भूमि (हे. में)
(1) उज्जैन	(2) उज्जैन	(3)	(4)	(5)
		ग्राम पिपलियाराघो	183	0.09
		पटवारी हल्का	196	0.08
		क्रमांक 25	208/1	0.09
			257	0.07
			274	0.27
			289/1	0.02
			256	0.02
			277	0.01
			197/2	0.10
		कुल योग . .		0.75

### प्रारूप-“ख”

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र.-भू-अर्जन-2024-4233-प्र. क्र. 12-अ-82-2024-25.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कान्ह डयवर्शन डक्ट परियोजना के अन्तर्गत कान्ह नदी के दूषित पानी की निकासी हेतु ग्राम जमालपुरा, तहसील उज्जैन से ग्राम सिंगावदा तहसील घट्टिया तक डक्ट निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए.

और, अतएव राज्य सरकार को उक्त डक्ट निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें डक्ट निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है। उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोका के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। इक्कीस दिवस के भीतर, केबल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जानी वाली भूमि (हे. में)
(1) उज्जैन	(2) उज्जैन	(3)	(4)	(5)
		ग्राम कोकलाखेड़ी	98/1	0.08
		पटवारी हल्का	100/4	0.28
		क्रमांक 26	98/4	0.05
			98/2	0.08
			100/1	0.03
		कुल योग . .		0.52

कृतिका भीमावद, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-1408—भू—अर्जन—2024

सिंगरौली, दिनांक 5 नवम्बर 2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है।

### अनुसूची

(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- सीधी—सिंगरौली नई रेल लाइन हेतु।

(2) भूमि का वर्णन—

(क) जिला :- सिंगरौली

(ख) तहसील :- देवसर

(ग) ग्राम :- जियावन पट.ह.नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल :- निजी रकबा 0.017 है

क्र	भूमिस्वामी/पिता/पति का नाम व पता	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	टिप्पणी
1	ललन पिता रामशरण साहू	594/2/1/2	0.131	0.004	निजी भूमि
2	लालबहादुर पिता ललन साह	594/2/2	0.008	0.001	निजी भूमि
3	सुनीता पिता ललन साहू	594/2/3	0.008	0.001	निजी भूमि
4	प्रेमलाल पिता ललन प्रसाद साहू	594/2/4	0.016	0.001	निजी भूमि
5	विनोद कुमार पिता राममिलन साहू	594/2/5	0.008	0.001	निजी भूमि
6	राजकुमार पिता राममिलन साहू	594/2/6	0.008	0.001	निजी भूमि
7	सुरज पिता राममिलन साहू	594/2/7	0.008	0.001	निजी भूमि
8	उमेश पिता राममिलन साहू	594/2/8	0.008	0.001	निजी भूमि
9	मो० अब्बास पिता इसराफिल	594/2/9	0.004	0.003	निजी भूमि
10	मो० सहजाद अली पिता इसराफिल	594/2/10	0.004	0.003	निजी भूमि
निजी पट्टे की भूमि का योग —		10 कित्ता	0.203	0.017	

चूंकि ललितपुर—सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अन्तर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हेक्टर भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त ग्राम की आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर—सिंगरौली नई रेलवे लाइन परियोजना का ही भाग है। अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्राहियों को वहीं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेगे जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों/विस्थापितों को देय हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रशेखर शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-7012-भू-अर्जन-2024

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 दिसम्बर 2024

चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की घारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

### 1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	चांद
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- ढीमरमेटा प0ह0न-19 ब.न.-114 रा.नि.मं.-चांद
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-0.816 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	356/2/1	0.134
2	356/2/3	0.188
3	364/2	0.030
4	347/1	0.176
5	357/3/1	0.179
6	367/2/1	0.042
7	297/2/1	0.067
	योग :-	कुल रकबा-0.816 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क0 1 चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क0 1 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.-7013-भू-अर्जन-2024

वृृकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:-

## 1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	चांद
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम— चांद प0ह0न-24 ब.न.—80 रा.नि.मं.—चांद
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा—0.780 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	60/1	0.072
2	67	0.035
3	583/12	0.166
4	575/2/1	0.084
5	205/1	0.225
6	205/4/1/1/1	0.198
	योग :-	कुल रकबा—0.780 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:— पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू—अर्जन अधिकारी, तहसील—चौरई, जिला—छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांधे जल संसाधन संभाग क0 1 चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क0 1 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

क्र.-8227-भ-अर्जन-2024

सिवनी, दिनांक 23 दिसम्बर 2024

— 12 मे दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिय प्राधिकृत करता ह। अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पनवासन और पुनर्वासनपन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा एवं जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे। उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की वन मंत्रालय प्रकाशित निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है—

1 ग्राम का नाम :- गुदरा प.ह.नं. :- 99 रा.नि.म. :- लख

सं. क्र.	सर्वेक्षण का कमाक	का प्रकार	अधिन की अर्जन के द्वारा क्रमांकल	हितबद्ध व्यविता का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष	संरचना			
					उत्तर	दक्षिण	पश्च	पश्चिम					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1/2	भूमिस्थानी	कृषि	0.60	चेतू पिता गिरन जाति ओङ्गा नि.ग्रा. भूमिस्थानी	ग्राम जामुनप नी की सरहद	तिजिया बगैरह पि. कर्त्ती की भूमि	शासकीय चारगाह	ग्राम सालीवा डा सरहद	गहुआ पलास	01 03	-	-
2	2/2	भूमिस्थानी	कृषि	0.30	तिजिया बेवा कर्त्ती विसनलाल रामकिशोर सुगरलाल सनियाबाई सुगरवती पिता कर्त्ती जाति ओङ्गा नि.ग्रा. भूमिस्थानी	शासकीय चारगाह	शासकीय चारगाह	अमरसी पि. गिरन की भूमि	शासकीय	पलास	02	-	-
3	2/3	भूमिस्थानी	कृषि	0.15	अमरसी पिता गिरन जाति ओङ्गा नि.ग्रा. भूमिस्थानी	शासकीय चारगाह	शासकीय चारगाह	शासकीय चारगाह	शासकीय चारगाह	पलास	02	-	-
4	2/4	भूमिस्थानी	कृषि	0.05	अमरलाल पिता गिरन जाति ओङ्गा नि.ग्रा. भूमिस्थानी	शासकीय	शासकीय चारगाह	शासकीय	शासकीय चारगाह	नीम	01	-	-
5	109	भूमिस्थानी	कृषि	0.40	बलबंतसिंह धरमसिंह जाति नि.ग्रा. भूमिस्थानी	पिता गौली	शासकीय	सुमेरी पुसिया बगैरह पि. हरिसिंग की भूमि	शासकीय चारगाह	महुआ पलास	03 03	-	-

6	122	भूमिस्वामी	कर्टु	कर्टु	2.23	दिव्यारानी पति पवनकुमार जाति ब्राह्मण नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय चारगाह	कुंवर सुकवती पि. लोटन की भूमि	कृष्णाबा ई बौरह पि. पीतम की भूमि	कुंवर सुकवती पि. लोटन की भूमि	महुआ	02	-	-
7	133	भूमिस्वामी	कर्टु	कर्टु	0.20		शासकीय	ग्राम ऐसनवा ही सरहद	भरत पि. भगवतप्र साद की भूमि	दिव्यारा नी की शेष भूमि	पलास	04	-	-
8	119	भूमिस्वामी	कर्टु	कर्टु	0.45		शासकीय	शासकीय	रामकली बेवा भारत बौरह की भूमि	शासकीय	महुआ	04	-	-
9	116	भूमिस्वामी	कर्टु	कर्टु	0.53		शासकीय	शासकीय	रामकली बेवा भारत बौरह की भूमि	शासकीय	-	-	-	-
10	124	भूमिस्वामी	कर्टु	कर्टु	0.82	कृष्णाबाई बेवा पीतम रेवती सुखवती पि. पीतम गंगाबाई पि. आसाराम जाति नेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी	पीतम पि. आसारा म की शेष भूमि	सुमेरी पुसिया बौरह पि. हरिसिंग की भूमि	पीतम पि. आसारा म की शेष भूमि	कृष्णाबा ई बौरह पि. पीतम की भूमि	-	-	-	-
11	125	भूमिस्वामी	कर्टु	कर्टु	0.07	समनिया पति हरचंद रामप्यारी लक्ष्मी बैसखिया तिजिया सनिया पिता हरचंद जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	समनिया की शेष भूमि	कृष्णाबा ई बौरह पि. पीतम की भूमि	समनिया की शेष भूमि	कृष्णाबा ई बौरह पि. पीतम की भूमि	महुआ	01	-	-
12	126	भूमिस्वामी	कर्टु	कर्टु	0.35	सुमेरी पुसिया रमिया उर्फ छोटीबाई पिता हरिसिंग जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	कृष्णाबा ई बौरह पि. पीतम की भूमि	शासकीय	सुमेरी की शेष भूमि	दिव्यारा नी पति पवनकुमार की भूमि	महुआ	01	-	-
13	117	भूमिस्वामी	कर्टु	कर्टु	1.34	छोटेलाल पिता लक्ष्म जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी	कुंवर सुकवती पि. लोटन की भूमि	ग्राम ऐसनवा ही सरहद	शासकीय	पारवती पति गिरधारी की भूमि	महुआ आम विही सीतापल नीबू	02	02	01
14	115/1	भूमिस्वामी	कर्टु	कर्टु	0.43	श्यामलाल पिता तीरन जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय नाला	मंगलदास पि. तीरन की भूमि	लक्ष्मीबा ई पल्ली खेमचंद की भूमि	शासकीय नाला	महुआ	02	-	कर्म मकान 01
15	115/2	भूमिस्वामी	कर्टु	कर्टु	0.43	मंगलप्रसाद पिता तीरन जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी	श्यामलाल पि. तीरन की भूमि	ग्राम ऐसनवा ही सरहद	लक्ष्मीबा ई पल्ली खेमचंद की भूमि	शासकीय नाला	महुआ सागौन	01	01	कर्म मकान 01
16	113	भूमिस्वामी	कर्टु	कर्टु	1.09	गिरधारी पिता जगनसी जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	कुंवर सुकवती पि. लोटन की भूमि	श्यामलाल पि. तीरन की भूमि	कुंवर सुकवती पि. लोटन की भूमि	सालीवाडा सरहद	महुआ बहेडा सागौन	07	02	04
											कर्म मकान 01	6.10 X 7.20 चाँडी	4 X 5.70 चाँडी	18 X 6.50 चाँडी

17	120	भूमि स्वामी	कर्तु	0.91	कुंवर सुकवती पिता लोटन जाति मेहरा नि. ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय चारगाह	गिरधारी पि. जगनसी की भूमि	दिव्यारा नी पति पवनकुमार की भूमि	सालीबा डा सरहद	पलास	01	-	-	-	-	
18	111/1/1	भूमि स्वामी	कर्तु	0.50	लक्ष्मीबाई साहू पत्नी खेमचंद साहू जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय	ख.नं. 112 की भूमि	शासकीय	सालीबा डा सरहद	महुआ सागौन	01 07	क० कुड़ा 1 क० मकान 01	5 X 10 कर्तु	5 X 10 कर्तु		
19	111/1/2	भूमि स्वामी	कर्तु	0.50	ममता बाई पति रविशंकर जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय	ख.नं. 112 की भूमि	शासकीय	सालीबा डा सरहद			क० मकान 01	7.70 X 3.70 कर्तु			
20	111/2	भूमि स्वामी	कर्तु	0.21	पारवती पति गिरधारी जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय	ख.नं. 112 की भूमि	शासकीय	सालीबा डा सरहद							
21	112	भूमि स्वामी	कर्तु	0.79		स्वर्य की भूमि	ख.नं. 113 की भूमि	शासकीय	सालीबा डा सरहद	महुआ सागौन कंजाई लेडिया नीम	03 01 01 03 01	क० मकान 01	5.60 X 7.00 कर्तु	301.41 रुपये		
योग	21			12.35						वृक्ष	123	क० कुड़ा 1 क० मकान 6 क०. मकान 301	5.60 X 7.00 कर्तु	301.41 रुपये		

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्य / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र.-8400-जि.भू.अ.-2024

सिवनी, दिनांक 26 दिसम्बर 2024

#### धारा — 6

प्रकरण कमांक 03/अ-82/2024-25 कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि.(भ/स) सं. कं. 1 सिवनी द्वारा बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम कन्हरगांव पटवारी हल्का नं. 11 रा.नि.मं. बंडोल तहसील सिवनी जिला सिवनी की प्रस्तावित निजी भूमियों में से 0.11 हें. भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का अर्जन करना चाहता है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप 'ख' में सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप 'ग' में सामाजिक समाधात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गयी है, जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

## प्रारूप — ख

(नियम 5)

## सामाजिक समाधात रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण
2	लोक प्रयोजन	मार्ग निर्माण
3	स्थान	ग्राम — कन्हरगांव प0ह0न० 11 रा.नि.म. — बंडोल तहसील सिवनी व जिला सिवनी
4	परियोजना का क्षेत्र	निजी भूमि — 0.11 हें.
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया है।	वर्तमान में यातायात पुराने मार्ग से हो रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा गड्ढे एवं चौड़ाई कम होने से दुर्घटना होने की संभावना होती है। अतः मार्ग निर्माण चौड़ीकरण किये जाने हेतु नये अलाइमेंट से किया जाकर निजी भूमि का अर्जन मार्ग निर्माण हेतु किया जा रहा है।
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	परियोजना म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग(भ./स.) भोपाल के द्वारा सी.आर.आई.एफ. योजना में किया जा रहा है।
7	परियोजना निर्माण के चरण	प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है।
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	संलग्न है।
9	परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	ग्राम — कन्हरगांव प0ह0न० 11 रा.नि.म. — बंडोल की निजी भूमि अर्जित रकबा 0.48 हैं।
10	भूमि का मूल्य	कलेक्टर पंजीयन गाईन लाईन वर्ष 2024–25 में निर्धारित भूमि के मूल्य के अनुसार
11	प्रभावित परिवारों की कुल संख्या(अधिनियम की धारा 3 के खंड(ग) के अनुसार	निरंक
12	परिसंपत्तियां	कच्चा मकान 2, पक्का मकान 01
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई	निरंक
14	(क) समाजिक समाधातो का विवरण (ख) समाधातो की संकेतक सूची	सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन। 1. सामाजिक प्रभाव आंकलन — परिवार विश्थापन एवं पुनर्बसाहट, शिक्षा, समुदाय की भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाये 2. निर्मित संरचना — इमारत का प्रकार, स्थिति, उपस्थिति 3. आर्थिक मूल्यांकन — रोजगार और आय के स्रोत 4. सामाजिक पर्यावरण — वायु की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता, ध्वनि शोर, खाली भूमि
15	(क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्तावों की अधिमान्यता क्यों दी गयी।  (ख) यदि नहीं तो क्यों नहीं	परियोजना से आसपास के ग्रामीण एवं स्थानीय निवासीयों को स्थाई बारहमासी यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी। जिससे स्कूल कालेज आने जाने में छात्रों को वाहन सुविधा मिलेगी। बेरोजगार लोग बरसात में भी शहरी क्षेत्र में जाकर काम कर सकेंगे एवं मार्ग निर्माण से बारहमासी यातायात चलने से मार्ग के नजदीक दुकान चाय—नाश्ता स्टाल, वाहन गैरेज, कृषि बिकी केन्द्र, वेयरहाउस आदि बना सकते हैं जिससे कि रोजगार एवं आय के साधन बढ़ेंगे। लोगों को अस्पताल, मंडी आदि आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। अतः परियोजना फायदेमंद है।
16	प्रस्ताव का निष्कर्ष	मार्ग निर्माण के बन जाने से क्षेत्र के लोगों को बारहमासी सुलभ यातायात उपलब्ध होगी। अतः सामाजिक समाधात अध्ययन दल लोक प्रयोजन कार्य को देखते हुए मार्ग निर्माण हेतु भूमि अर्जन की अनुशंसा करता है।

## प्रारूप - ग

(नियम 5)

## सामाजिक समाधात प्रबंध योजना

## निम्नलिखित समाधातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	प्रभावित नहीं
2	लोक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां	प्रभावित नहीं
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़के लोक परिवहन	प्रभावित नहीं
4	जल - मल निकासी एवं स्वच्छता	प्रभावित नहीं
5	पेयजल के स्रोत	प्रभावित नहीं
6	पशुओं के लिये पेयजल स्रोत	प्रभावित नहीं
7	सामुदायिक तलाब	प्रभावित नहीं
8	जन सुविधाए(पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाए स्कूल आंगनबाड़ी बालउद्यान और श्मशान कब्रिस्तान)	उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नहीं हो रही है।
9	वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा।	बिन्दु क्रमांक 1 से लगाकर बिन्दु क्रमांक 8 तक में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है।
10	अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाधात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा।	यदि समाधात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संस्कृति जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र.-2784-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 20 दिसम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

- (क) जिला -सतना
- (ख) तहसील- कोठी
- (ग) नगर /ग्राम - मनकवार
- (घ) क्षेत्रफल- 1.9310 हें

क्र०	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे. में
1	2	3	4
1	वीरेन्द्र सिंह पिता दलबहादुर सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी	117/1/2/1/1	0.2900
2	गजेन्द्र सिंह पिता दलबहादुर सिंह पता मनकवार,कोठी भूमिस्वामी	117/1/2/1/2	0.0770
3	विटिया उर्फ विसरनिया पुत्री कुदुरुआ कुशवाहा,लोलिया कुशवाहा पुत्री कुदुरुआ कुशवाहा जाति काढी पता मनकवार,विकम प्रसाद कुशवाहा पुत्र सियाशरण कोठी भूमिस्वामी	117/1/2/2	0.0500
4	राजनारायण सिंह पिता रामदास सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी	117/2/2	0.1600
5	सुरेश सिंह पिता रामदास सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी	117/2/5	0.1160
6	श्रीमती केशवती पत्नी रामबिहारी सिंह पता डेहुटा सा० देह भूमिस्वामी	113	0.2600
7	रघुराज सिंह पिता विश्वनाथ सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी	114/1/2/1/2	0.0030
8	बालमेन्द्र सिंह पिता विश्वनाथ सिंह पता मनकवार,कोठी भूमिस्वामी	114/1/2/1/4	0.4200
9	शिवप्रसाद तनय मंगाली पता सा० देह भूमिस्वामी	114/1/2/2	0.0300
10	शंकर सिंह पिता रामराज सिंह पता मनकवार कोठी	120/1/1	0.2250
11	कुंवर बहादुर सिंह पिता रामराज सिंह पता मनकवार कोठी	120/1/2/1	0.1300
12	विजय बहादुर सिंह पिता रामबहादुर सिंह पता सेमरी कला कोठी	120/23	0.1700
	योग रकवा हे.में-		1.9310

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-2785-भ०-अर्जन-2024

024 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः— (म.प्र. शासन / निजी खाता)

- (क) जिला –सतना  
 (ख) तहसील– कोठी  
 (ग) नगर / ग्राम – कठवरिया कला  
 (घ) क्षेत्रफल– 4.3740 हेक्टर

क्र०	भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
	2	3	4
1	राजकिशोर त्रिपाठी पिता नत्यू प्रसाद त्रिपाठी पता उमरी सतना भूमिस्वामी	59/1	0.0100
2	रवीन्द्र तिवारी, राजकिशोर त्रिपाठी पिता नत्यू प्रसाद त्रिपाठी पता उमरी सतना भूमिस्वामी	59/2	0.4130
3	श्रीमति आशा त्रिपाठी पत्नी राजकिशोर त्रिपाठी उमरी सतना	57/1	0.2160
4	बृजकिशोर तनय नत्यू प्रसाद त्रिपाठी सा० उमरी सतना	57/2	0.0840
5	राजन पिता राजेश त्रिपाठी पता अमिलपुर भूमिस्वामी	56	0.3460
6	रामकृष्णल च्चामीदीन दशरथ प्रसाद जगजीवनराम पिता कोदउदा शिवकली चच्चा पुत्री कोदउदा पता सा० देह भूमिस्वामी	51	0.0660
7	आमिलाष पिता राजेश सा० अमिलपुर	52/1	0.2300
8	अर्जुनमन पिता राजेश त्रिपाठी सा० अमिलपुर	52/2	0.2090
9	केदार प्रसाद पिता रामरुद्र मैना पत्नी संतोष विश्वकर्मा	53/1	0.1950
10	दामोदर प्रसाद पिता वंशधारी सा० देह भूमिस्वामी	53/2	0.0650
11	नारायण प्रसाद पिता वंशधारी सा० देह भूमिस्वामी	65	0.3030
12	वसंत लाल तनय शंकरदीन शम्भू पिता सुखदेव पता गुलुवा सा० देह भूमिस्वामी	66/1	0.1350
13	रामलाल पिता छोटलाल वर्मा सा० देह भूमिस्वामी	66/2	0.4460
14	सीताराम तनय रामदेव सा० देह भूमिस्वामी	68/1/2/2	0.0040
15	बसंतलाल तनय शंकर तेली सा० गुलुवा	68/2	0.1830
16	रामपाल पिता छोटेलाल वर्मा पता सा० देह भूमिस्वामी	68/1/2/1/2	0.2340
17	श्रीमती मेडीबाई उर्फ कृष्णादेवी पत्नी रामजनन सा० देह भूमिस्वामी	85	0.0550
18	हीरालाल बल्द रामगरीब पता सा० देह भूमिस्वामी	68/1/3	0.1060
19	सौखीलाल बल्द बड़ी सा० देह भूमिस्वामी	86	0.0620
20	रामायण तनय श्यामलाल वर्मा पता सेजहटा सा० देह भूमिस्वामी	88/1/1/1	0.0060
21	काजल सोनी पति ऋषिराज सोनी सा० कोठी भूमिस्वामी	88/1/2	0.0890
22	देवी प्रसाद लोकनाथ पिता भगवत प्रसाद मिश्रा पुत्री बुटइया अंजू सुनीता पिता भागवत प्रसाद मिश्रा एवं रावेन्द्र बालेन्द्र भौं घम्मी पता सा० देह भूमिस्वामी	89	0.0070
23	साधी प्रसाद बल्द रामायणदीन सा० देह भूमिस्वामी	91/1/2	0.1550
24	रामायण तनय श्यामलाल वर्मा पता सेजहटा सा० देह भूमिस्वामी	88/1/1/2	0.3030
25	उच्छौ प्रसाद पिता रामायणदीन पता कठवरिया कला सा० देह भूमिस्वामी	92/1/1	0.1980
26	जयुना प्रसाद पिता वृदावन ब्रां सा० देह भूमिस्वामी	92/2/1	0.0040
27	साधौ प्रसाद बल्द रामायणदीन ब्रां पता सा० देह भूमिस्वामी	82/2/1	0.2500
	योग रकवा हे.में		4.3740

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है बरगी व्यवस्थन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नवको (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 23 दिसम्बर 2024

प्रकरण क्रमांक **03/A-82/2022-23** राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है कि दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये ग्राम-टोडी की आबादी आवश्यकता है, इस आशय की धारा-11 एवं धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में क्रमशः दिनांक **21.07.2023** एवं **15.12.2023** को कराया गया है। सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2023-24 एवं लोक सभा निर्वाचन-2024 होने तथा छूट प्रभावित मकानों की जांच होने के कारण निर्धारित अवधि में भू-अर्जन अधिनियम-2023 की धारा-23 के तहत आवार्ड पारित नहीं किया जा सका। किन्तु धारा-25 के अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 के तहत प्रकरण में धारा-23 की आवार्ड पारित किये जाने हेतु 12 मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

अनुसूची - (1)				
टावदी का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
राजगढ़	सुठालिया	टोडी	3.410	सुठालिया सिंचाइ परियोजना के निर्माण हेतु।
कुल योग:-			3.410	

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक **05/A-82/2022-23** राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है कि दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये ग्राम-निवारा की आबादी आवश्यकता है, इस आशय की धारा-11 एवं धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में क्रमशः दिनांक **21.07.2023** एवं **15.12.2023** को कराया गया है। सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2023-24 एवं लोक सभा निर्वाचन-2024 होने तथा छूट प्रभावित मकानों की जांच होने के कारण निर्धारित अवधि में भू-अर्जन अधिनियम-2023 की धारा-23 के तहत आवार्ड पारित नहीं किया जा सका। किन्तु धारा-25 के अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 के तहत प्रकरण में धारा-23 की आवार्ड पारित किये जाने हेतु 12 मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

अनुसूची - (1)				
टावदी का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
राजगढ़	सुठालिया	निवारा	0.858	सुठालिया सिंचाइ परियोजना के निर्माण हेतु।
कुल योग:-			<b>0.858</b>	

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 04/A-82/2022-23 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है कि दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये ग्राम—गुजरखेड़ीकला की आबादी आवश्यकता है, इस आशय की धारा—11 एवं धारा—19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग—1 में क्रमशः दिनांक 21.07.2023 एवं 15.12.2023 को कराया गया है। सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2023—24 एवं लोक सभा निर्वाचन—2024 होने तथा डूब प्रभावित मकानों की जांच होने के कारण निर्धारित अवधि में भू—अर्जन अधिनियम—2023 की धारा—23 के तहत आवार्ड पारित नहीं किया जा सका। किन्तु धारा—25 के अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—25 के तहत प्रकरण में धारा—23 की आवार्ड पारित किये जाने हेतु 12 मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

अनुसूची —(1)				
टाबड़ी का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर / ग्राम	क्षेत्रफल	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
राजगढ़	सुठालिया	गुजरखेड़ीकलां	0.901	सुठालिया सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु।
कुल योग:-			<b>0.901</b>	

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू—अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

क्र.-198—भू—अर्जन—2024

मैहर, दिनांक 26 दिसम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.—एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

- (क) जिला —मैहर
- (ख) तहसील— मैहर
- (ग) नगर / ग्राम — घुनवारा
- (घ) क्षेत्रफल— 9.5040 हेक्टर

क्र.	सर्वे नं.	प्रस्तावित रकवा
1	2	3
1	20/2/1/1	0.063
2	21/2/1/1	0.078
3	22/1/1	0.591
4	20/2/1/2	0.030
5	21/2/1/2	0.030
6	22/1/1	0.220
7	7/3/2	0.154
8	21/1	0.167
9	7/2/1	1.578
10	7/2/2	1.578
11	7/2/4	1.578
12	7/2/3	1.578
13	7/3/1	0.455
14	19,20/1	0.450
15	16/1	0.954
	योग	9.5040

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— घुनवारा बांध निर्माण कार्य तालाब टैंक के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू—अर्जन) जिला मैहर तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी मैहर जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-199—भू—अर्जन—2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः  
भू—अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.—एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित  
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

- (क) जिला —मैहर
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) नगर / ग्राम —चोरखंडी
- (घ) क्षेत्रफल— 5.770 हेक्टेएर

क्र.	सर्वे नं.	प्रस्तावित रकवा
1	2	3
1	1300	0.089
2	1301	0.072
3	1302/1/1/1	0.040
4	1302/1/1/2	0.026
5	1307	0.178
6	1308	0.081
7	1292	0.001
8	1286	0.033
9	1269/1	0.090
10	1269/2	0.139
11	1285	0.016
12	1284	0.030
13	1268/1/2	0.009
14	1270/1	0.157
15	1270/2	0.009
16	1271	0.130
17	1233/1/3	0.002
18	1233/1/1	0.007
19	1233/1/2	0.007
20	1232/1	0.140
21	1232/3	0.180
22	1235	0.268
23	1237/1	
24	1237/2/1	
25	1237/2/2	
26	1237/2/3	
27	1237/3	
28	1237/5	
29	1237/6	
30	1237/7	
		0.005

31	1237/8	
32	1222/2/1	0.046
33	1222/2/2	0.045
34	1221	0.020
35	1238	0.067
36	1219/1	0.791
37	1219/2	
38	1133/2	0.025
39	1131/1	0.250
40	1131/2	0.080
41	1108/1	0.009
42	1108/2	0.012
43	1107/1	0.152
44	1107/2	0.164
45	1106	0.013
46	1097/1	0.371
47	1096	0.029
48	1093/1/1	0.037
49	1093/1/2	0.137
50	1093/2/2	0.071
51	1093/3/2	0.051
52	1094/2/2	0.075
53	1092/2	0.023
54	694/1/1	
55	694/1/2	0.063
56	694/1/3	
57	694/2	
58	1083/1	0.080
59	1083/2	0.070
60	1083/3	0.062
61	1082	0.008
62	1081	0.001
63	1084/1	0.002
64	1084/3	0.010
65	1080	0.017
66	1079	0.305
67	1074	0.109
68	1075	0.030
69	1076	0.016
70	1078	0.027
71	756/1	0.019
72	757/1/1/1	0.029
73	757/1/1/2	0.002
74	757/1/2/1	0.040
75	757/1/2/2	0.025
76	757/1/2/3	0.079
77	757/2	0.172
78	769/2	0.084
79	768/2	0.002
80	758/2	0.030
81	766/3	0.006
82	765/1	0.130
83	765/2	0.008
84	761/1	0.060
85	761/2	0.021
86	759/2	0.011
87	760/1	0.034
88	760/2	0.041
	योग	5.770

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— वर्गी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितारिका नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नवशे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-200—भू—अर्जन—2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.—एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः— (म.प्र. शासन / निजी खाता)

- (क) जिला —मैहर
- (ख) तहसील— अमरपाटन
- (ग) नगर / ग्राम — सुआ
- (घ) क्षेत्रफल— 3.4960 हेक्टर

क्र.	सर्वे नं.	प्रस्तावित रकवा
1	2	3
1	91/2/1	0.0600
2	91/2/3	0.0410
3	90/2/1	0.0200
4	90/2/3	0.0040
5	154/1	0.0450
6	154/2	0.0750
7	153	0.0320
8	152	0.0790
9	155/2	0.0020
10	158/1	0.0460
11	159	0.0090
12	160/2	0.0410
13	157/1	0.0010
14	178/1	0.0560
15	178/2	0.0500
16	178/3	0.0540
17	178/4	0.0560
18	177	0.0080
19	183/1	
20	183/2/1	
21	183/2/2	0.0480
22	183/3	
23	175	0.1610
24	184	0.1210
25	193	0.2770
26	194/4/1	0.0020
27	191/2/2	
28	191/2/3	
29	191/1/5	
30	191/2/1	0.1960
31	191/1/1/3	

32	196/1/1	
33	196/1/2	
34	196/1/3	
35	196/1/4	0.0100
36	196/2	
37	196/3	
38	397/2/6/2	0.2460
39	397/3/1/1	0.0210
40	397/3/2	0.3600
41	398/1	0.0120
42	401	0.0080
43	402	0.0120
44	403/2/1	0.0080
45	525/1	
46	525/2	
47	525/3	0.0980
48	525/4	
49	465/1	
50	465/2/1	0.0750
51	465/2/2	
52	466/1	0.0450
53	466/2/1	
54	466/2/2/1	0.0930
55	466/2/2/2	
56	517	0.0430
57	518/1/1	0.0350
58	521/1	0.0040
59	516/1	0.0010
60	519	0.0080
61	520	0.0120
62	515/1	0.0220
63	515/2	0.0470
64	514/1	0.0010
65	514/2/1	0.0040
66	514/2/2	0.0020
67	514/3	0.0020
68	514/4	0.0080
69	508/1	0.0090
70	508/2	0.0090
71	509	0.0240
72	510/1	0.0190
73	510/2	0.0190
74	512/1	
75	512/2/1	
76	512/2/2	0.0770
77	512/2/3	
78	512/2/4	
79	511/1	0.0100
80	511/2	0.0100
81	530/1	
82	530/2	0.0040
83	531/1	0.0940
84	531/2/1	0.0980
85	532	0.1570
86	541/1	0.1800
87	541/796/1	0.1130
88	542/1	0.0120
	योग	3.4960

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के मढ़ी माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू—अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-201-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

- (क) जिला -मैहर
- (ख) तहसील-अमरपाटन
- (ग) नगर / ग्राम -गोरा
- (घ) क्षेत्रफल- 5.407 हेक्टर

क्र.	सर्वे नं.	प्रस्तावित रकवा
1	2	3
1	1152	0.410
2	1150	0.369
3	1148/1/3	0.130
4	1144/1/3	0.014
5	1138/1	0.048
6	1138/2	0.052
7	1146/1	0.029
8	1146/2	0.041
9	1141	0.108
10	1145/1/2	0.024
11	1145/1/3	0.042
12	1145/1/4	0.028
13	1145/1/5	0.036
14	1142/2	0.081
15	1143/2	0.013
16	1079/1	
17	1079/2	
18	1079/3	0.541
19	1079/4	
20	1079/5	
21	1077/1	0.029
22	1077/2	0.021
23	1080/1/1/1	
24	1080/1/1/2	
25	1080/1/2	0.515
26	1080/2/1	
27	1080/2/2	
28	1081/1	
29	1081/1/2	0.183
30	1081/2	
31	1035/2	0.044
32	1034	0.110
33	1032	0.105

34	1030/1	0.020
35	1023/1/1	0.034
36	1022/1/1/1	0.108
37	1022/1/1/2	0.185
38	1022/1/2	0.120
39	1021	0.020
40	1020	0.095
41	1015	0.011
42	1014/1	
43	1014/2	0.291
44	1014/3	
45	1016/2	0.001
46	985/1	0.029
47	985/2	0.079
48	985/3	0.066
49	985/4	0.002
50	1004/1/1	0.008
51	1004/1/2	0.076
52	1004/1/3	0.025
53	1003	0.033
54	1001/1	0.105
55	1001/2	0.071
56	1000	0.025
57	988/1/2	0.150
58	988/2/1	0.126
59	989/1613/1	0.150
60	989/1613/2	0.153
61	997/3	0.020
62	997/4	0.016
63	996/3	0.043
64	996/4	0.166
65	995	0.067
66	994/1614	0.135
67	1456/2	0.004
	योग	5.407

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजबानी वितरिका नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-202-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।  
अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

- (क) जिला -मैहर
- (ख) तहसील-अमरपाटन
- (ग) नगर / ग्राम -मीषमपुर
- (घ) क्षेत्रफल- 10.4880हेए

क्र.	सर्वे नं.	प्रस्तावित रकम
1	2	3
1	1345	0.001
2	1342/1	0.132
3	1342/2	0.061
4	1341	0.024
5	1340	0.006
6	1101	0.001
7	1102	0.114
8	1103/2	0.049
9	1107	0.101
10	1106	0.028
11	1108	0.064
12	1109	0.010
13	1110	0.067
14	1111/1	0.072
15	1096/1/1	0.205
16	1096/2	0.220
17	1112	0.003
18	1066/1	0.090
19	1066/2	0.006
20	1071/1	0.098
21	1071/2	0.042
22	1071/3	0.098
23	1070/1	0.068
24	1075/1	0.069
25	1075/2	0.002
26	1073/1	0.037
27	1074	0.092
28	1077	0.003
29	1080	0.054
30	1045	0.009
31	1081	0.073

32	1044	0.116
33	1043	0.017
34	1041/1	0.082
35	1041/2	0.007
36	1042/1/1/1	0.008
37	1042/1/1/2	0.008
38	1042/1/2	0.008
39	1042/2	0.007
40	1040/1/1	0.024
41	1040/1/2	0.037
42	1040/3/2	0.055
43	1035	0.113
44	1034/1/1	0.026
45	1034/1/2	0.030
46	1034/2	0.084
47	1031/1	0.106
48	1020/1	0.067
49	1020/2	0.014
50	1021/2	0.081
51	1009/1	0.020
52	1009/2	0.038
53	1008/1	0.045
54	1008/2	0.052
55	1007/1	0.067
56	1007/2	0.067
57	994	0.002
58	993/1	0.024
59	993/2	0.066
60	992/1/1	
61	992/1/2/1	
62	992/1/2/2	
63	992/1/2/3	0.125
64	992/2	
65	992/3/1	
66	992/3/2	
67	991/1	
68	991/2	
69	991/2/1	
70	991/2/2	
71	991/2/3	
72	991/2/5	0.193
73	991/2/6	
74	991/3	
75	991/4/1/1/1	
76	991/4/1/1/2	
77	991/4/1/2	
78	991/4/2	
79	990/1/2	0.309
80	990/3/2	0.142

81	990/4/1	0.309
82	973/4	0.141
83	971/1	0.031
84	971/1/2/1	0.048
85	971/2/1	0.030
86	971/2/2/1	0.032
87	971/2/2/2	0.018
88	972/1	0.048
89	972/2/1	0.006
90	967/1	0.007
91	703/1	0.096
92	703/2/2	0.002
93	704/1/1	0.008
94	704/1/2	0.006
95	704/2	0.002
96	705/1	0.200
97	705/2/1	
98	705/2/2	
99	705/3	
100	705/4	
101	706/2/1/1/2	0.005
102	706/2/1/2	0.007
103	828/1	0.021
104	827	0.034
105	826/1	0.003
106	826/2	0.017
107	707/1/2/2	0.008
108	707/2	0.208
109	745	0.173
110	746	0.049
111	747/2	0.008
112	747/3	0.032
113	739/1	0.054
114	739/2	0.108
115	740/2	0.016
116	738/1	0.062
117	737/1	0.097
118	737/2	0.097
119	736	0.009
120	760/1/1	0.009
121	732/1	0.081
122	732/2	0.120
123	732/3	0.055
124	761	0.021
125	762	0.009
126	766/1/2	0.088
127	766/2/1/1/1	0.220
128	766/2/1/1/2	
129	766/2/1/2	
130	766/2/2/1	0.056

131	766/2/2/3	0.056
132	766/2/3	0.092
133	766/2/4	0.079
134	767/2/2/1	0.013
135	767/2/2/4	0.012
136	769/2/1/1/1	0.071
137	769/2/1/1/2	0.071
138	769/2/1/2	0.098
139	770/2/2/1/1	0.002
140	770/2/2/1/2	0.002
141	770/2/2/2	0.012
142	571/1/2	0.245
143	573/1/1	0.009
144	573/1/2	0.010
145	560/1/1/1	0.297
146	560/1/1/3	0.228
147	560/1/1/4	0.060
148	560/2/2/1	0.090
149	560/2/2/2	0.045
150	560/2/3	0.202
151	559/1	0.022
152	558/1/1	0.154
153	558/2/1	0.078
154	558/2/5	0.080
155	556/2	0.010
156	2011/2	0.257
157	2012/2	0.066
158	2013	0.079
159	2014	0.019
160	2018	0.316
161	2046	0.587
162	2047/2/1/1	0.118
163	2052/1/3	0.038
164	2052/2	0.378
165	2010	0.002
		<b>10.488</b>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-203-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

- (क) जिला —मैहर
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) नगर / ग्राम —इटमा
- (घ) क्षेत्रफल— 2.819हेक्टर

क्र.	खसरा नं.	प्रस्तावित रकम
1	2	3
1	7/3	0.001
2	144	0.101
3	146	0.077
4	147	0.029
5	142/1/1	0.087
6	158/1	0.061
7	158/2/1	0.003
8	157/1	0.014
9	160	0.108
10	163	0.037
11	161/1	0.016
12	162/1	0.037
13	162/2	0.015
14	303/1	0.008
15	303/2	0.084
16	301	0.064
17	300	0.084
18	297	0.006
19	296	0.066
20	295	0.093
21	369	0.004
22	370	0.031
23	372	0.041
24	373	0.004
25	275/1	0.043
26	380	0.043
27	381/1	0.041
28	383	0.025
29	273	0.057
30	272/1/1	0.126
31	272/1/2	

32	272/2/1/1	
33	272/2/1/2	
34	272/2/2	
35	425/1	0.088
36	432/2	0.031
37	428/1	0.091
38	428/3	0.008
39	429/1	0.023
40	429/3	0.058
41	430/2	0.031
42	430/3	0.045
43	431/2	0.077
44	431/3	0.002
45	456/2	0.001
46	454/2	0.003
47	455	0.044
48	510/2	0.025
49	511	0.081
50	512	0.057
51	514/1	0.053
52	514/2	0.083
53	515	0.047
54	530/1/2/2	0.040
55	530/2/1	0.001
56	529/1	0.086
57	529/2/1	0.053
58	528/1/1	
59	528/1/2/1	
60	528/1/2/2	
61	528/1/2/3	0.209
62	528/1/3	
63	528/1/4	
64	528/1/5	
65	528/2	
66	551/1/1	
67	551/1/4	
68	551/1/5	
69	551/2	
70	551/3	
71	551/4	
72	551/5	0.120
73	551/6/1	
74	551/6/2	
75	551/7	
76	551/8	
77	551/9/1	
78	551/9/2	
79	629	
80	629/1	0.013
81	629/2	
82	628/1	
83	628/2	
84	628/3	0.031
85	628/4	
86	627	0.012
	योग	2.819

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत धरुई सब माइनर नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नवशे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू—अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रानी बाटड़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-R-24-25-भू-अर्जन-2024

विदिशा, दिनांक 27 दिसम्बर 2024

अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील-गंजबासौदा जिला विदिशा के ग्राम-कुरावद के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची**

कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम-कुरावद

तहसील-गंजबासौदा

जिला-विदिशा

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)			भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां
					संसिचित	असंसिचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खुमान पुत्र नन्ना जाति आदिवासी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	25/1/2	1.000	0.010	—	—	बबूल-1
2	कछेदी पुत्र प्रभू जाति आदिवासी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	25/1/3	1.000	0.105	—	—	—
3	कोशरबाई पुत्री लक्ष्मन जाति आदिवासी पता कुरावद बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश अहस्तांतरणीय 1/7 भाग भूमि स्वामी उमेदी बाई बेदा लक्ष्मन पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश अहस्तांतरणीय 1/7 भाग भूमि स्वामी संतोष पुत्र लक्ष्मन पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश अहस्तांतरणीय 1/7 भाग भूमि स्वामी सरखपतीबाई पुत्री लक्ष्मन पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश अहस्तांतरणीय 1/7 भाग भूमि स्वामी कृष्णबाई पुत्री लक्ष्मन पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश अहस्तांतरणीय 1/7 भाग भूमि स्वामी सुखवर्ती पुत्री लक्ष्मन पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश अहस्तांतरणीय 1/7 भाग भूमि स्वामी शतीबाई पुत्री लक्ष्मन जाति आदिवासी पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश अहस्तांतरणीय 1/7 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25/1/1/2	1.000	0.060	—	रुसल्ला-1	
4	श्यामलाल पुत्र परमा जाति आदिवासी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	25/1/1/4	0.500	0.065	—	—	बबूल-3
5	गोधन पुत्र परप्रसाद जाति आदिवासी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	25/1/1/5	0.500	0.020	—	—	—
6	नारायण पुत्र मिठू जाति आदिवासी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	25/1/1/6	0.300	0.015	—	—	खजूर-1
7	न्यारसा पुत्र काशीराम जाति आदिवासी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	25/1/1/8	0.500	0.060	—	—	—
8	नरवटीबाई बेदा मुन्ना पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी रघुवीर नावा पुत्र मुन्ना पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी फूलबाई चनदाबाई नावा पिता मुन्ना सरपरस्त मौं स्वंयं जाति आदिवासी पता विदिशा मध्यप्रदेश 2/4 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	25/1/1/9	0.500	0.045	—	—	—
9	दयाराम पुत्र रघुवीर जाति आदिवासी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	25/1/1/11	0.407	0.015	—	—	—
10	लक्ष्मनसिंह पुत्र तरवरसिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्यप्रदेश 1181 / 1186 भाग भूमि स्वामी ब्रजेशसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्यप्रदेश 5 / 1186 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	49/3	0.402	0.030	—	—	—

11	राजकुमारी वेवा शिवराज सजनसोनूवर्षा पिता शिवराज जाति राजपूत पता कुरावद बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	49/5/3	0.206	0.060	-	-	-
12	सुरेन्द्रसिंह पुत्र पहाड़सिंह जाति राजपूत पता कुरावद बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी शिशुपालसिंह पुत्र पहाड़सिंह जाति राजपूत पता राजोदा रोड बासीदा बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	57	0.188	0.030	-	-	-
		भूमि स्वामी	58	0.188	0.035	-	-	बबूल-7, दखनी इमली-1, बेरी-2
13	गोधनसिंह यशवन्तसिंह देवेन्द्रसिंहदयभानसिंह पिता रूपसिंह पता कुरावद बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी कामेशकपिलपुत्रगणलाखनसिंह भारतीपुत्रीलाखनसिंह सतोषीबाई वेवा लाखनसिंह जाति राजपूत पता कुरावद बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	61	0.167	0.040	-	-	बबूल-5, दखनी इमली-2, बेरी-2, खजूर-2
14	ग्याबाईउर्फसिंह पुत्र श्यामलाल पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	81	1.055	0.420	-	-	बबूल-17, कोहा-3, रसलला-1, दखनी इमली-1 खजूर-1, बेरी-4
15	रामदयाल पुत्र मंगाराम जाति भोइ पता बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 209/1065 भाग भूमि स्वामी नारायणसिंह पुत्र लोकमन सिंह जाति प्रजापति पता बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 571/1065 भाग भूमि स्वामी सुशीलाबाई पत्नी नारायणसिंह जाति प्रजापति पता विदिशा मध्यप्रदेश 285/1065 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	83	0.073	0.073	-	-	-
		भूमि स्वामी	85	0.136	0.136	-	-	-
16	पलटूराम मोहरसिंह लल्ला गुड़ा वा. कल्लू ना. वा. पुत्रगण सरूपा भूमि स्वामी गुड़ी रीना पुत्रिया सरूपा सरपरस्त ना. स्वयं भूमि स्वामी हीराबाई वेवा सरूपा 1/4 भाग भूमि स्वामी मुन्नालाल गोटीराम पहलवान पप्पू वा. मंगलसिंह ना.वा. पुत्रगण वशन्ता सरपरस्त मा. स्वयं भूमि स्वामी प्रवेशबाई वेवा वशन्ता 1/4 भाग भूमि स्वामी मोजी पुत्र हल्कू 1/4 भाग भूमि स्वामी गनेशराम पुत्र बारेलाल भूमि स्वामी शान्तीबाई वेवा बारेलाल पता निवासी घाम 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	84	0.084	0.084	-	-	-
17	राजकुमार पुत्र रामकिशन जाति अहिरवार पता कुरावद बासीदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	88/2	0.418	0.005	-	-	-
18	कैलाश पुत्र सरूपराम जाति राजपूत पता कुरावद बासीदा ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	88/1/2/2	0.418	0.010	-	-	बेरी-3
19	कैलाश पुत्र सरूपसिंह जाति राजपूत पता कुरावद बासीदा ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	91/5/3	0.240	0.020	-	-	बेरी-1
20	लविया पल्ली ए यू अन्नारी जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	93	1.233	0.170	-	-	-
		भूमि स्वामी	94/1	0.349	0.140	-	-	-
21	नारायण पुत्र मिट्ठू जाति रावत पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी दुर्गा पुत्र मिट्ठू पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अमान कुन्दन प्रहलाद पिता मिट्ठू पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी गोमतीबाई पुत्री मिट्ठू पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी छोटीबाई वेवा मिट्ठू जाति रावत पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	94/3	0.209	0.130	-	-	
22	आर्यन शर्मा पुत्र नीरज शर्मा जाति ब्राह्मण पता बासीदा बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	95/1/1	1.198	0.070	-	-	-

23	रेखवर्य शर्मा पुत्र नीरज शर्मा पता बासोदा बासोदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	95/1/2	1.045	0.030	-	-	-
24	मुना पुत्र मेहताप जाति रावत पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी चुमोला बाई पत्ती मुना जाति रावत पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	95/3	0.704	0.015	-	-	-
25	किशोर पुत्र छुटटा जाति चमार पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	146/1	0.571	0.005	-	-	बबूल-1
26	गीताबाई पत्ती केशरीसिंह जाति रघुवंशी पता आगासोद बासोदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	147/1	1.975	0.020	-	-	ऊमर-1
27	रामदयाल पुत्र मंडाराम जाति गोई पता बासोदा विदिशा मध्यप्रदेश 209 / 1065 भाग भूमि स्वामी नारायणसिंह पुत्र लोकमनसिंह जाति प्रजापति पता बासोदा विदिशा मध्यप्रदेश 571 / 1065 भाग भूमि स्वामी सुशीलाबाई पत्ती नारायणसिंह जाति प्रजापति पता विदिशा मध्यप्रदेश 285 / 1065 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	149	0.856	0.145	-	-	ऊमर-1
28	प्रेमसिंह पुत्र चन्दनसिंह जाति राजपूत पता कुरावद बासोदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150	0.826	0.035	-	-	कंजी-1
29	गंजाजलसिंह पुत्र गंभीरसिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी यह खाता विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा होता में बंधक है।	भूमि स्वामी	159/2	0.188	0.020	-	-	-
30	गंजाजलसिंह पुत्र गंभीरसिंह पता विदिशा मध्यप्रदेश 30 / 209 भाग भूमि स्वामी गंगाबाई रामकलीबाई सुनीताबाई रुपवाई पिता गंभीरसिंह पता विदिशा मध्यप्रदेश 119 / 209 भाग भूमि स्वामी अनेकसिंह नुरेसिंह राजेन्द्रसिंह भूपेन्द्रसिंह पिता कल्याणसिंह पता विदिशा मध्यप्रदेश 24 / 209 भाग भूमि स्वामी सतोवीबाई पुत्री कल्याणसिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्यप्रदेश 6 / 209 भाग भूमि स्वामी जीवनसिंहभूमियसिंहपुत्रगणभारतसिंह राजकुमारअनीतापुत्रियामारतसिंह रूपकुमार बैद्य भारतसिंह पता विदिशा मध्यप्रदेश 30 / 209 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	159/3	0.209	0.010	-	-	-
31	जीवनसिंह पुत्र भारतसिंह जाति राजपूत पता कुरावद बासोदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी अजयसिंह पुत्र भारतसिंह जाति राजपूत पता कुरावद बासोदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी राजकुमार पुत्री भारतसिंह जाति राजपूत पता कुरावद बासोदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी अनीता पुत्री भारतसिंह जाति राजपूत पता कुरावद बासोदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी रूपकुमार बैद्य भारतसिंह जाति राजपूत पता कुरावद बासोदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	159/4	0.460	0.010	-	-	-
32	रामसखीबाई पुत्री करनसिंह जाति राजपूत पता कुरावद बासोदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	159/1	0.606	0.110	-	-	ऊमर-5, बेरी-2
33	खुशाल पुत्र रघुर जाति आदिगामी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहरतातरणीय	भूमि स्वामी	158/1	0.570	0.060	-	-	-
34	तुलाराम पुत्र सेवालाल जाति चमार पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	158/2	0.182	0.010	-	-	-
35	गोधन पुत्र लपसिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमिस्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है यशवंतसिंह पुत्र लपसिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमिस्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है उदयभानसिंह पुत्र लपसिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमिस्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है देवन्दसिंह पुत्र लपसिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमिस्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है	भूमि स्वामी	156	0.732	0.090	-	-	-
		भूमि स्वामी	155/2	2.886	0.155	-	-	-
36	प्रति पत्ती मोहनलाल जाति अग्रवाल पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	155/1	3.135	0.305	-	-	ऊमर-1
योग			40 किटा	27,216	2,868			

क्र.-R-24-25-भू-अर्जन-2024

अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील-गंजबासीदा जिला विदिशा के ग्राम-निवौदिया के लिए बैराज झूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्व कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची**

कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम-निवौदिया

तहसील-गंजबासीदा

जिला-विदिशा

संक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टर)	अंजित रकवा (हेक्टर)			भूमि पर स्थित परिसंभविताया
					संचित	असंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रभू पुत्र कन्हैयालाल जाति ढीमर पता निवौदिया बासीदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी प्राणसिंह पुत्र कन्हैयालाल जाति ढीमर पता निवौदिया बासीदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी सरजूबाई बेवा कन्हैयालाल जाति ढीमर पता निवौदिया बासीदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी सिरदार पुत्र मदन जाति ढीमर पता निवौदिया बासीदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी सिरदार पता निवौदिया बासीदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी मुन्जीबाई पुत्री मदन पता निवौदिया बासीदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी मोहरबाई बेवा मदन जाति ढीमर पता निवौदिया बासीदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43	0.157	0.100	-	-	-
			47	0.157	0.115	-	-	-
2	कन्हेदी पुत्र कन्हैया जाति आदिवासी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	44	0.105	0.105	-	-	-
3	रेखाबाई पुत्री निरपत्तसिंह जाति कुमी पता निवौदिया बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	46	0.105	0.085	-	-	-
			50	0.125	0.125	-	-	-
			246	0.073	0.073	-	-	बबूल-1
4	मोहरसिंहरामसिंह दयालसिंहकमलसिंह मोहनसिंहपुत्रगणज्ञधमकृष्णा पुत्री ज्ञधम जाति ढीमर पता निवौदिया बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 976/1139 भाग भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक आप इण्डिया शाखा बासीदा में बंधक है। मनोजसंजय पुत्रगणमेहरबानसिंह कुमुमबाई बेवा मेहरबानसिंह जाति ढीमर पता निवौदिया बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 163/1139 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	48	0.063	0.063	-	-	-
			49/1	0.016	0.016	-	-	-
			53/1/1	0.042	0.042	-	-	कोहा-1
			243/1	0.125	0.125	-	-	-
			244/1	0.063	0.063	-	-	-
			254/2	0.047	0.047	-	-	-
5	मोहरसिंहरामसिंह दयालसिंहकमलसिंह मोहनसिंहपुत्रगणज्ञधमकृष्णा पुत्री ज्ञधम जाति ढीमर पता निवौदिया बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 976/1139 भाग भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक आप इण्डिया शाखा बासीदा में बंधक है। मनोजसंजय पुत्रगणमेहरबानसिंह कुमुमबाई बेवा मेहरबानसिंह जाति ढीमर पता निवौदिया बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 163/1139 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	254/1/2	0.004	0.004	-	-	
6	मीराबाई पल्ली सरदारसिंह पता निवौदिया बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमिस्वामी प्रदीप संदीप हर्ष पुत्र सरदारसिंह पता निवौदिया बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 3/8 भाग भूमिस्वामी ज्योति पिकी लक्ष्मीहर्षिता पुत्री सरदारसिंह पता निवौदिया बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 4/8 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	254/1/2	0.004	0.004	-	-	-
7	रणधीरसिंह पुत्र मिठू पता निवौदिया विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	254/1/1	0.035	0.035	-	-	-
8	रणधीरसिंह पुत्र मिठू पता निवौदिया विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	254/1/3	0.004	0.004	-	-	-
9	दीलतराम पुत्र मिठू जाति ढीमर पता बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	254/1/4	0.004	0.004	-	-	-

10	मोहरसिंहरामसिंह दयालसिंहकमलसिंह मोहनसिंहपुत्रगणजंघमकछा पुत्री भूमि स्वामी ऊंचम जाति ढीमर पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 976/ 1 39 भाग भूमि स्वामी यह खाता स्टेट स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बासौदा में बंधक है। मनोजसंजय पुत्रगणमेहरवानसिंह कुसुमबाई बेवा मेहरबानसिंह जाति ढीमर पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 163/ 1139 भाग भूमि स्वामी		भूमि स्वामी	255/2	0.062	0.062	-	-	-	
11	मीराबाई पत्नी सरदारसिंह पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/ 8 भूमिस्वामी प्रदीप संदीप हर्ष पुत्र सरदारसिंह पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 3/ 8 भूमिस्वामी ज्योति पिंके लक्ष्मीहर्षिता पुत्री सरदारसिंह पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 4/ 8 भूमिस्वामी		भूमि स्वामी	255/1/1	0.021	0.021	-	-	-	
12	दौलतराम पुत्र गिरदू जाति ढीमर पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी		भूमि स्वामी	255/1/2	0.021	0.021	-	-	-	
13	रणधीरसिंह पुत्र गिरदू पता निवौदिया विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी		भूमि स्वामी	255/1/3	0.021	0.021	-	-	-	
14	मीराबाई पत्नी सरदारसिंह पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/ 8 भाग भूमिस्वामी प्रदीप संदीप हर्ष पुत्र सरदारसिंह पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 3/ 8 भाग भूमिस्वामी ज्योति पिंके लक्ष्मीहर्षिता पुत्री सरदारसिंह पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 4/ 8 भाग भूमिस्वामी		भूमि स्वामी	49/2/1	0.039	0.039	-	-	-	
15	दौलतराम पुत्र गिरदू जाति ढीमर पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी		भूमि स्वामी	49/2/2	0.039	0.039	-	-	-	
				243/2/2	0.063	0.063	-	-	-	
16	विजयकुमार पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्यप्रदेश 1254/ 3042 भाग भूमि स्वामी यश पुत्र आननद कुमार जाति भिक्षा पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 267/ 3042 भाग भूमि स्वामी आननदकुमार पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्यप्रदेश 1521/ 3042 भाग भूमि स्वामी		भूमि स्वामी	51	0.179	0.179	-	-	-	
				52	0.167	0.167	-	-	-	ऊमर-6
				53/2	0.084	0.084	-	-	-	
17	रणधीरसिंह पुत्र गिरदू पता निवौदिया विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी		भूमि स्वामी	53/1/2	0.041	0.041	-	-	-	
				244/2	0.062	0.062	-	-	-	
18	राजाराम लालाराम पिता भोगचन्द्र पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/ 4 भाग भूमि स्वामी भगवतीबाई गुलाबबाई पिता भोगचन्द्र पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/ 4 भाग भूमि स्वामी चिरोचीबाई पुत्री भोगचन्द्र जाति ढीमर पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/ 2 भाग भूमि स्वामी		भूमि स्वामी	54	0.084	0.060	-	-	-	
				55	0.073	0.030	-	-	-	ऊमर-3, कोहा-1
				57	0.094	0.060	-	-	-	
19	हल्कू पुत्र भूरे जाति ढीमर पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी		भूमि स्वामी	56	0.021	0.011	-	-	-	कोहा-1
20	गोपाल गोपालां पिता मदनलाल पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी सकुन्तलास्नेहलता प्रेमलतामृदुला पिता मदनलाल पता बापौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी चुमितकुमार पुत्र महेशनारायण पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी सरिका निहारिका पिता महेशनारायण पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अमितकुमार पुत्र विष्णुनारायण पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी नीतू पिता विष्णुनारायण पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी शभारेदी बेवा विष्णुनारायण जाति ब्राह्मण पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी निमित देवेश पिता चन्द्रशेखर उपर नवीन पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी निमित देवेश पिता चन्द्रशेखर उपर नवीन पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी सुनीतादेवी बेवा चन्द्रशेखर उपर नवीन जाति ब्राह्मण पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी		भूमि स्वामी	62	14.037	0.680	-	-	बबूल-26, खेजड़ा-1, कंजी-1	
				135	10.275	1.220	-	-	-	
				209	1.327	0.250	-	-	-	बबूल-3

21	शकुन्तला स्नेहलताप्रेमलता मृदूला पिता मदनलाल पता बासीदा बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अभिमतकुमार पुत्र विष्णुनारायण पता बासीदा बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी रितु प्रीति नीतू पिता विष्णुनारायण पता बासीदा बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी शोभादेवी देवा विष्णुनारायण जाति ब्राह्मण पता बासीदा बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी सारिका निहारिका पिता महेशनारायण पता बासीदा बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी निमित देवास पिता चन्द्रशेखर उर्फ नवीन पता बासीदा बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी सुनीतादेवी देवा चन्द्रशेखर उर्फ नवीन जाति ब्राह्मण पता बासीदा बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	132	4.902	0.150	-	-	-
22	संगीता पत्नि राजाराम जाति रघुवंशी पता गंजबासीदा गंजबासीदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी		137/1	4.807	0.090	-	-	-
23	सुमित कुमार पुत्र महेशनारायण जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी		137/2	3.523	0.270	-	-	ऊमर-1
24	किशनललजगन्नाथ रमेशकोजसिंह मुकेशपुत्रगणजसिंहललिताई पुत्री जयसिंह पता बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 832 / 5822 भाग भूमिस्वामी इन्द्रतवाईरुमावाई सरजूवाईसामक्षीबाईपुत्रियामेयालाल पुत्री भैयालाल पता बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 832 / 5822 भाग भूमिस्वामी अंगूरीवाईरुकमण्डीबाई ममतावाईकिरनवाईपानवाई पुत्रियोधन्नालालालचौदाई देवा घन्नालाल पता बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 712 / 5822 भाग भूमिस्वामी रितुवाई नावापुत्रीप्राणसिंह सररामेशीबाई देवा प्राणसिंह पता बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 119 / 5822 भाग भूमिस्वामी राजेशदिनेशर्मणशुपुत्रगणनिहालसिंह जयप्रदासांतिपुत्रियानिहालसिंह रेखाबाईबेयानिहालसिंह गुलामवाई पुत्री जोधाराम जाति ढीमर पता बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 832 / 5822 भाग भूमिस्वामी मलखान नावापुत्रफूलसिंहसुदुमावाईबालिम मालतीबाईपूनमनावाई पिता फूलसिंह सर पिता स्वम पता बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 119 / 5822 भाग भूमिस्वामी फूलवाई सरस्वतीबाई पिता गिर्खारी पता बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 1663 / 5822 भाग भूमिस्वामी लीलावाईसियावाई हरीबाईसुशीलावाईरामजानकीबाई पुत्रियासुन्दरलालग्यावाई देवा सुन्दरलाल पता बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 713 / 5822 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	188	0.231	0.140	-	-	ऊमर-2, बेरी-3
			190	0.073	0.073	-	-	बेरी-1
			257	0.105	0.105	-	-	-
25	लीलामाईसियाबाईहरीबाई रामजानकीविमलाबाईसुशीलालाई पुत्रियासुन्दरलालग्यावाई देवा सुन्दरलाल जाति दिमर पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	189	0.115	0.090	-	-	-
		भूमि स्वामी	251	0.094	0.094	-	-	-
26	हरनामसिंह पुत्र न्यारसा जाति ढीमर पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी		191/1	0.052	0.052	-	-	-
			242/4	0.076	0.076	-	-	-
			252/2	0.029	0.029	-	-	-
27	रीतेशप्रदीपपुत्रगण श्रीराम अलका पुत्री श्रीराम जाति ढीमर पता विदिशा मध्य प्रदेश 3/4 भाग भूमि स्वामी सेवंतीबाई देवा श्रीराम जाति ढीमर पता निवोदिया बासीदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	191/2	0.052	0.052	-	-	-
		भूमि स्वामी	252/3	0.029	0.029	-	-	-
			242/3	0.076	0.076	-	-	-
			191/3	0.053	0.053	-	-	-
28	सुनील रवी नावा पिता भुजबलसिंह सर माँ खुद रामवतीबाई पता विदिशा मध्यप्रदेश 2 / 5 भाग भूमि स्वामी रिक्की सरोज नावा पिता भुजबलसिंह सर माँ खुद रामवतीबाई पता विदिशा मध्यप्रदेश 2 / 5 भाग भूमि स्वामी रितिबाई देवा भुजबलसिंह जाति ढीमर पता विदिशा मध्यप्रदेश 1 / 5 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	252/4	0.028	0.028	-	-	-
		भूमि स्वामी	242/1	0.075	0.075	-	-	बबूल-2
			191/4	0.052	0.052	-	-	-
			242/2	0.076	0.076	-	-	-
29	रामकृष्ण पुत्र बाबूलाल जाति ढीमर पता बासीदा बासीदा विदिशा मध्य प्रदेश 1 / 6 भाग भूमि स्वामी जितेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाति ढीमर पता बासीदा बासीदा विदिशा मध्य प्रदेश 1 / 6 भाग भूमि स्वामी राजकुमार पुत्री बाबूलाल पता बासीदा बासीदा विदिशा मध्य प्रदेश 1 / 6 भाग भूमि स्वामी रामवाई पुत्री बाबूलाल पता विदिशा मध्य प्रदेश 1 / 6 भाग भूमि स्वामी मुनीवाई देवा बाबूलाल जाति ढीमर पता निवोदिया बासीदा बासीदा विदिशा मध्य प्रदेश 1 / 6 भाग भूमि स्वामी करमवाई पुत्री बाबूलाल पता विदिशा मध्य प्रदेश 1 / 6 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	252/1	0.029	0.029	-	-	-

30	पूनेर विशाल पुत्र गन कल्याण जाति रैकबार पता निवीदिया बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	193	0.157	0.030	-	-	-
31	अजयकुमारजानचकुमारदीपकप्रकाश प्रकाश पिता रामसरलय जाति ब्राह्मण पता बासीदा बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी ज्योति पुत्रारमस्वरूप शारदाबाई बेवा रामसरलय पता बासीदा बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी वैभवराहुल पुत्राणविजयकुमार किरन बेवा विजयकुमार जाति ब्राह्मण पता निवीदिया बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अमितकुमारपुत्रविष्णुनारायण रितुप्रितीनीत्पुत्रियाविष्णुनारायण शोभादेवी बेवा विष्णुनारायण पता बासीदा बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी पूष्पाचाईवेमदनलाल चन्द्रोखरउरुफनवीन पुत्र मदनलाल पता बासीदा बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी वैभवराहुल पता बासीदा नीरज हेमन्त प्रवण पिता मोहनदास पता बासीदा बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी किरन कामना नम्रता पिता मोहनदास पता बासीदा बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी माधुरीदेवी बेवा मोहनदास जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी सुनितकुमारपुत्रविष्णुनारायण सरिका निहारिका पिता बहेशनारायण पता बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	228	0.669	0.170	-	-	-
32	अमितकुमार पुत्र विष्णुनारायण जाति ब्राह्मण पता बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी रितु पुत्री विष्णुनारायण पता बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी गीति युद्धी विष्णुनारायण पता बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी नीतू पुत्री विष्णुनारायण पता बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी शोभादेवी बेवा विष्णुनारायण पता बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	229	1.151	0.020	-	-	-
33	शारदाबाई बेवा रामस्वरूप जाति ब्रह्मण पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	240	0.857	0.020	-	-	-
34	राजू वाप्रसिंह नावा पिता गोटरिया पता विदिशा मध्यप्रदेश 2/6 भाग भूमि स्वामी काता पानबाई राधिकानाथा पिता गोटरिया सरपरस्त मौं पता विदिशा मध्यप्रदेश 3/6 भाग भूमि स्वामी लीलाबाई बेवा गोटरिया पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	245/1	0.019	0.019	-	-	-
35	इयमबाई पुत्री जोम पता विदिशा मध्यप्रदेश 19/96 भाग भूमि स्वामी इमरसिंहलालवनरिंद्रियनरिंद्रियनरिंद्रियनरिंद्रिय विजयबाईपुत्रीगोगावाई बेवा वालकिवालवीरनपुरगणनपत्रिंद्रिय विजयबाईपुत्रीगोगावाई बेवा गनपत्रिंद्रिय जाति भई पता निवीदिया बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 20/96 भाग भूमि स्वामी भगवानरिंद्रहरामजीविपिन पुत्रगणमोती शातीबाईशनीरामदुलारी पिता मोती जाति ढीमर पता निवीदिया बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 19/96 भाग भूमि स्वामी सुमित्रबाईपलीरतनरिंद्र नेतरामजानीश्वरणपुत्रविरतनरिंद्र जशोदामानवतीबाईधोलीबाईश्वरीलालबाईरजानी पिता रतनरिंद्र जाति ढीमर पता बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 19/96 भाग भूमि स्वामी गोरेलाल पुत्र कनकूल जाति ढीमर पता विदिशा मध्यप्रदेश 19/96 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	245/2	0.096	0.096	-	-	-
36	अमरसिंह पुत्र किशनलाल जाति गाड़ी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	247	0.115	0.115	-	-	बघूल-2
		भूमि स्वामी	256/1	0.026	0.026	-	-	
		भूमि स्वामी	248/1	0.303	0.040	-	-	बघूल-4
37	भवतसिंह पुत्र किशनलाल जाति गाड़ी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	248/2	0.533	0.010	-	-	
		भूमि स्वामी	256/2	0.026	0.026	-	-	
38	तरवर पुत्र बुद्धी पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी गुड्डू पुत्र बुद्धी जाति ढीमर पता निवीदिया बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी बुझकोई पुत्री बुद्धी जाति ढीमर पता निवीदिया बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि बुझकोई रेखाबाई पुत्री बुद्धी जाति ढीमर पता निवीदिया बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि बुझकोई दशख्पुत्रपूल भगवतीरामजाईपिता पिता पूरन पता निवीदिया बासीदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	249	1.359	0.060	-	-	-
		भूमि स्वामी	250	0.334	0.334	-	-	जमर-1, दखनी-1, बघूल-8, रुसला-1, वेरी-1
		भूमि स्वामी	253	0.136	0.136	-	-	
39	रम्पुरीरसिंह पुत्र पंचू जाति बंसोर पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58/4	0.700	0.030	-	-	वेरी-1
योग			73	किता	53.622	7.000		

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नवी तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासीदा जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठ द्वारा जिला विदिशा एवं परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-R-23-24-भू-अर्जन-2024

अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील-गंजबासौदा जिला विदिशा के ग्राम-गंज के लिए बैराज डब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्वस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची-01

कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम-गंज

तहसील-गंजबासौदा

जिला-विदिशा

संक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हे.मे.)	अर्जित रकवा (हे.मे.)			भूमि पर स्थित परिसंपत्तियाँ
					संचित	असंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	साधना पत्नी देवेन्द्रसिंह जाति यादव पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23/2	0.309	—	0.035	—	—
2	उमिलादेवी पत्नी महेश कुमार जाति कुशवाह पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 6343 / 6351 भाग भूमि स्वामी शेरसिंह पुत्र हरप्रसाद जाति कुशवाह पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 8 / 6351 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	29/1	0.768	0.010	—	—	कंजी-1
3	महेशकुमार पुत्र विहारीलाल जाति कुशवाह पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	41/1/1/2	1.254	0.010	—	—	—
4	उमेशमोर्य पुत्र रामकिशोर मोर्य जाति कुशवाह पता विदिशा मध्यप्रदेश 5107 / 5121 भाग भूमि स्वामी प्रीतमसिंह पुत्र रत्नसिंह जाति राजपूत पता मडिया पोनिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 14 / 5121 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	41/1/1/1	3.449	0.100	—	—	कंजी-3
5	सुरेश हारिसिंह पुत्र श्यामलाल जाति अहिर गार पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42/1	1.254	0.185	—	—	ऊमर-1, बेरी-1
6	सुरेशकुमार पुत्र काशीराम जाति अहिरवार पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	44	0.512	0.010	—	—	—
7	भूपतसिंह पुत्र रूपसिंह जाति दांगी पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 421 / 1264 भाग भूमि स्वामी यासमीनबानो पत्नी राशिद खान जाति मुसलमान पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 421 / 1264 भाग भूमि स्वामी राजकुमारपुत्रशम्भुसिंह सविताबाईउत्तराबाईपुत्रियाशम्भुसिंह मुन्नीबाई बेवा शम्भुसिंह समान भाग जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश 422 / 1264 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45	1.264	0.090	—	—	—

8	भैरोंसिंह पिता अमोलसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 784/3135 भाग भूमि स्वामी हरीसिंह पिता अमोलसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 784/3135 भाग भूमि स्वामी सनमानसिंह पिता अमोलसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 784/3135 भाग भूमि स्वामी रवि पुत्र कल्लूसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 130/3135 भाग भूमि स्वामी बसंतीबाई बेवा कल्लूसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 130/3135 भाग भूमि स्वामी आशाममता आरती पूजा पुत्री कल्लूसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 523/3135 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	54/2/1	0.627	0.010	-	-	-
9	हरिसिंह पिता अमोलसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1677/8545 भैरासिंह पिता अमोलसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1677/8545 सनमानसिंह पिता अमोलसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1677/8545 रवि पुत्र कल्लूसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 280/8545 आशा पुत्री कल्लूसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 280/8545 ममता पुत्री कल्लूसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 280/8545 आरती पुत्री कल्लूसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 280/8545 पूजा पुत्री कल्लूसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 279/8545 बसंतीबाई बेवा कल्लूसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 279/8545 कंचनबाई बेवा अमोलसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1836/8545	भूमि स्वामी	52	3.993	0.050	-	-	-
कुल योग			किता	13.430	0.465	0.035		

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-R-24-25-भू-अर्जन-2024

अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील-गंजबासौदा जिला विदिशा के ग्राम-रजोदा के लिए बैराज झूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची

कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम-रजोदा

जिला-विदिशा

तहसील-गंजबासौदा

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क.	क्षेत्रफल कुल रकवा (ह.मे.)	अर्जित रकवा (ह.मे.)			भूमि पर स्थित परिसंपत्तियाँ
					संचित	असंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजयसिंहदीवानसिंह वीरेन्द्रसिंह पिता प्रतापसिंह समान भाग जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100/2	3.272	0.510	-	-	दखनी इमली-1, बदूल-1
2	नेतराम पुत्र विजयराम जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश स्वामी	भूमि स्वामी	101	0.251	0.025	-	-	-
3	हंदेश पुत्र मुनीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भाग 1630 / 4892 भूमि स्वामी कविता पुत्री मुनीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भाग 1631 / 4892 भूमि स्वामी राजेश्वरी बेवा मुनीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भाग 1631 / 4892 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100/1/1	1.380	0.135	-	-	
4	कमलेश पुत्र लछमन जाति यादव पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/1/1	1.881	0.900	-	-	ऊमर-1, खजूर-2
5	कमलेश पुत्र लछमन जाति यादव पता रजोदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/1/2	0.208	0.040	-	-	-
6	कोशलयाबाई पल्ली केशवप्रसाद जाति माली पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/3/2	0.627	0.250	-	-	-
7	सुनीलकुमार पुत्र गोपाल कृष्ण जाति महेश्वरी पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/3/1	2.927	0.190	-	-	दखनी इमली-2
8	सुनीलकुमार पुत्र गोपाल कृष्ण जाति महेश्वरी पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/2	2.122	0.010	-	-	-
9	सुनीलकुमार पुत्र गोपाल कृष्ण जाति महेश्वरी पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	82/1	1.463	0.005	-	-	-
10	रमेशचन्द्र पुत्र श्रीकृष्णजाति ब्राह्मण पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी पाही	भूमि स्वामी	82/4/1	1.672	0.005	-	-	-
11	सुनीलकुमार पुत्र श्रद्धानन्द जाति ब्राह्मण पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75/1	1.787	0.630	-	-	रुसल्ला-1
12	सुनीलकुमार पुत्र श्रद्धानन्द जाति ब्राह्मण पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75/2/2	1.881	0.400	-	-	रुसल्ला-2 बदूल-2, वैरी-2

13	जगदीश गोपाल रमेशसतीशबन्द्र पिता श्रीकृष्ण पता विदिशा मध्यप्रदेश 1254 / 1882 भाग भूमि स्वामी राजेश्वरी सीमा पुत्री श्रीकृष्ण जाति ब्राह्मण पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75/5	1.882	0.005	-	-	-
14	सुनीलकुमार पुत्र श्रद्धानन्द जाति ब्राह्मण पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	71/2/1	1.046	0.170	-	-	-
15	वीरेन्द्रकुमार पुत्र रामनारायणशर्मा जाति ब्राह्मण पता भोपाल विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	71/2/2	3.135	0.620	-	-	बबूल-6, ऊमर-4, दखनी इमली-1, रुसल्ला-1
16	चन्द्रवर्ती वेदा श्रद्धानन्द जाति ब्राह्मण पता रजोदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	72	0.084	0.020	-	-	-
17	वीरेन्द्रकुमार पुत्र रामनारायणशर्मा जाति ब्राह्मण पता भोपाल विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	73	0.209	0.080	-	-	-
18	प्रियंका पल्ली करन मैनी जाति खत्री पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7/1/2	1.000	0.120	-	-	रुसल्ला-1, बेरी-1
19	करन मैनी पुत्र राजेश कुमार मैनी जाति खत्री पता रजोदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7/2	2.888	0.015	-	-	-
20	अशोककुमार पुत्र मनोहरलाल जाति खत्री पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	71/1/3	1.683	0.100	-	-	-
21	अनुजा पुत्री राजेश कुमार मैनी जाति खत्री पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9/1, 9/2, 9/3	5.111	0.150	-	-	-
कुल योग			23 किता	36.509	4.380			

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-R-24-25-भू-अर्जन-2024

अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील—गंजबाजारी जिला विदिशा के ग्राम—सकरोली के लिए बैराज डब्लू में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि भूमि की गांजबाजारी की भूमि में अकिञ्चित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अकिञ्चित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची-01

कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम—सकरोली

जिला—विदिशा

तहसील—गंजबाजारी

स.क.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्थानित का प्रकार	खसरा क.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टर)	अंजित रकवा (हेक्टर)			भूमि पर स्थित परियोजनाएँ
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विनोदकुमार पुनर्वास जाति ग्राम्य पता सकरोली बाजारी जाति ग्राम्य परियोजना भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	453/3-	4.481	0.090	—	—	बबूल-6
2	पुजा भूमि विनोद कुमार जाति शामा पता बाजारी विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	453/4	4.306	0.690	—	—	बबूल-4, कंजी-2, कोहा-1
3	यस्तण पुर्णी विनोद कुमार जाति शामा पता बाजारी विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	453/5	4.306	1.150	—	—	छेवला-1
4	राजसाही पल्ली इन्द्रप्रकाश जाति ग्राम्य पता बाजारी विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	415	3.606	0.470	—	—	बबूल-19, छेवला-1
5	सुनीला पुर्णी गोविंदराम पता विनोदकुमार जाति ग्राम्य पता बाजारी विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	411	2.143	0.280	—	—	बबूल-1
6	गुप्तान पुर्ण रामप्रसाद जाति चमार पता सकरोली बाजारी विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहसांतरणीय	भूमि स्वामी	382/2	0.500	0.100	—	—	छेवला-1, कंमर-1
7	गुलाब पुर्ण धन्ना जाति रिलावट पता सकरोली बाजारी विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहसांतरणीय	भूमि स्वामी	382/4	0.500	0.080	—	—	बबूल-1
8	चंद्रकाना पल्ली शमशेकिशन जाति ग्राम्य पता बाजारी विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	384	1.045	0.040	—	—	—
9	अमरदसिंह पुर्ण लालाराम जाति खानार पता सकरोली बाजारी विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहसांतरणीय	भूमि स्वामी	374/1/5	0.600	0.120	—	—	—
10	अमरसिंहप्रबुद्धगावाई पल्ली अमरसिंह जाति रिलावट पता सकरोली बाजारी विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहसांतरणीय	भूमि स्वामी	374/5	1.200	0.010	—	—	—
11	गनपतिया पुर्ण वरा जाति चमार पता सकरोली बाजारी विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहसांतरणीय	भूमि स्वामी	374/22	0.250	0.010	—	—	—
12	कपुरीबाई देवा दोजा जाति चमार पता सकरोली बाजारी विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहसांतरणीय	भूमि स्वामी	374/23	0.250	0.030	—	—	कोहा-1, कोसलली-1, कंजी-2
13	दीरा पुर्ण रायरा जाति चमार पता सकरोली बाजारी विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहसांतरणीय	भूमि स्वामी	374/24	0.250	0.010	—	—	कंजी-1, कंमर-1, कोहा-2
14	श्रीमतीशरदाराई पल्ली गोपाललिंग जाति दांगी पता बाजारी विदिशा मध्यप्रदेश 372/2000 भाग भूमि स्वामी परनकुमार पुर्ण गोपाल जाति दांगी पता बाजारी विदिशा मध्यप्रदेश 627/2000 भाग भूमि स्वामी हीरालालपुरवैनिया उमरेश्वराई देवा विनिया जाति चमार पता बाजारी विदिशा मध्यप्रदेश 173/2000 भाग भूमि स्वामी कमलाबाई पुर्ण देवी विनिया जाति चमार पता बाजारी विदिशा मध्यप्रदेश 28/2000 भाग भूमि स्वामी विनिया पुर्ण गोपाललिंग जाति दांगी परियोजना भूमि स्वामी गोपाललिंग भूमि स्वामी विनिया जाति चमार पता सकरोली बाजारी विदिशा मध्यप्रदेश 366/2000 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	374/25	0.139	0.040	—	—	बबूल-3, कंजी-1
			14 किटा	23.576	3.120			

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परियार का पुनर्वस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्वस्थापन क्षेत्र की महादान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नवाये लावा स्थान का निरीक्षण कार्यालय अनुबिन्नगीय अधिकारी (सिलस्ला) गंजबाजारी जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबाजारी जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-R-24-25-भू-अर्जन-2024

विदिशा, दिनांक 26 दिसम्बर 2024

अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील-गंजबासौदा जिला विदिशा के ग्राम-बोथी जागीर के लिए बैराज झूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्वस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची**  
**कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम-बोथी जागीर**

तहसील-गंजबासौदा

जिला-विदिशा

संख्या	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टें)	अर्जित रकवा (हेक्टें)			भूमि पर स्थित परिसंपत्तियाँ
					संचित	असंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तुलसाबाईबावालचंद रामचरनदेवनसिहनारायण पिता वालचंदजाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4/2/1	0.502	0.125	—	—	—
2	विनोदकुमारराजकुमारअंशोकरायपुत्रगणजगदीश राय राजबाईचंद्रकांताबाई पुत्री जगदीशराय जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्यप्रदेश 7767 / 12209 भाग भूमि स्वामी राजकूमार पुत्र जगदीशराय जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्यप्रदेश 1178 / 12209 भाग भूमि स्वामी सुभाषचन्द्र पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्यप्रदेश 2246 / 12209 भाग भूमि स्वामी रामस्वरूप पुत्र जानकीनाथ जाति शर्मा पता विदिशा मध्यप्रदेश 1018 / 12209 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/1/1	0.836	—	0.160	—	बबूल-3
3	विनोदकुमारराजकुमारअंशोकरायपुत्रगणजगदीश राय राजबाईचंद्रकांताबाई पुत्री जगदीशराय जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्यप्रदेश 7767 / 12209 भाग भूमि स्वामी राजकूमार पुत्र जगदीशराय जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्यप्रदेश 1178 / 12209 भाग भूमि स्वामी सुभाषचन्द्र पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्यप्रदेश 2246 / 12209 भाग भूमि स्वामी रामस्वरूप पुत्र जानकीनाथ जाति शर्मा पता विदिशा मध्यप्रदेश 1018 / 12209 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/1/2	1.142	—	0.060	—	—
4	रंजीतसिंह पुत्र अमरसिंह जाति लोधी पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/2/1	0.940	0.150	—	—	—
5	वाकुरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति लोधी पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/2/2	0.941	0.060	—	—	कंजी-7, बबूल-2
6	शुभम पुत्र सुखलाल जाति लोधी पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/3/2	0.627	0.060	—	—	—
7	कुलदीप पुत्र हिम्मतसिंह जाति लोधी पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/5/2	1.178	0.070	—	—	ऊमर-1
8	लखनसिंहविकमणिहंपुत्रगणअंजबसिंह भारतीबाईप्रदेशबाईमीनाबाईपुत्रियाऊजबसिंहकृष्णबाई बेवा अंजबसिंह जाति लोधी पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7/2/1	0.063	0.015	—	—	बबूल-1
9	कोकसिंहसंदीपपुत्रगण बालाशम कमलाबाई बेवा बालाशम जाति लोधी पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7/2/2	0.063	0.025	—	—	खेजडा-1

										खेजडा-1
10	उमेदसिंह पुत्र हरीसिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 699/4080 भाग भूमि स्वामी दीनदयाल पुत्र बलवंत सिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1164/4080 भाग भूमि स्वामी .....पुत्र..... पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 292/4080 भाग भूमि स्वामी कुलदीपसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जाति लोधी पता वोथिजागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 364/4080 भाग भूमि स्वामी अगुरीबाई पुत्री हरीसिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 482/4080 भाग भूमि स्वामी गुरुडीबाई पुत्री हरीसिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 117/4080 भाग भूमि स्वामी लखनसिंह पुत्र अजब सिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 81/4080 भाग भूमि स्वामी विकनसिंह पुत्र अजब सिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 80/4080 भाग भूमि स्वामी भारतीबाई पुत्री अजबसिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 80/4080 भाग भूमि स्वामी प्रवेशबाई पुत्री अजब सिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 80/4080 भाग भूमि स्वामी नीनाबाई पुत्री अजबसिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 80/4080 भाग भूमि स्वामी कृष्णबाई बेटा अजबसिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 80/4080 भाग भूमि स्वामी कोकसिंह पुत्र बालाराम जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 68/4080 भाग भूमि स्वामी संदीप पुत्र बालाराम जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 68/4080 भाग भूमि स्वामी फूलबाई पुत्री बालाराम जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 69/4080 भाग भूमि स्वामी नीताबाई पुत्री बालाराम जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 69/4080 भाग भूमि स्वामी म.जर्तीबाई पुत्री बालाराम जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 69/4080 भाग भूमि स्वामी नेहाबाई पुत्री बालाराम जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 69/4080 भाग भूमि स्वामी कमलबाई बेटा बालाराम जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 69/4080 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7/2/3	0.036	0.015	-	-	-	-	खेजडा-1
11	बलवन्तसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति लोधी पता वोथिजागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शारदा बासौदा में वन्धक है।	भूमि स्वामी	7/1	0.162	0.060	-	-	-	-	बबूल-2, कोहा-2, ऊमर-1, कंजी-4
12	खिलानसिंह पुत्र गनपतसिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9/1/1	0.709	0.100	-	-	-	-	
13	धीरजसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बासौदा में वन्धक है।	भूमि स्वामी	9/2/1	1.417	0.130	-	-	-	-	
14	प्रथेसिंहकिशनसिंहपुत्रगणदलीवपसिंह भीकमसिंह पुत्र विनयसिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9/2/2/1	0.836	0.055	-	-	-	-	रुसल्ला-1, बबूल-3
15	खुशीलालगुलाबसिंहमानसिंह पुत्रगण जबाहरसिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 7124/9499 भाग भूमि स्वामी मनोजपुत्रमानसिंहरविपुत्रगुलाबसिंह चैनसिंह पुत्र खुशीलाल जाति लोधी पता वोथी जागीर विदिशा मध्यप्रदेश 2375/9499 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26/1	0.345	0.025	-	-	-	-	

16	खिलानसिंह पुत्र मनपत सिंह जाति लोधी पता बोथी जागीर बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश 867 / 4600 भाग भूमि स्वामी मनस्तराम पुत्र मनसिंह जाति कारीगर पता बोथी जागीर बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश 418 / 4600 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मनरायण पुत्र प्रतापसिंह जाति लोधी पता बोथी जागीर बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश 868 / 4600 भाग भूमि स्वामी मंदिरश्रीहनुमाननाथभीमनारायण पुत्र प्रतापसिंह पता बोथी जागीर बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश 209 / 4600 भाग भूमि स्वामी 3मरसिंह पुत्र इट्टरसिंह जाति लोधी पता बोथी जागीर बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश 1440 / 4600 भाग भूमि स्वामी उमदेसिंह पुत्र हरीसिंह जाति लोधी पता बोथी जागीर बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश 619 / 4600 भाग भूमि स्वामी रवि पुत्र गुलाबसिंह जाति लोधी पता बोथी जागीर बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश 12 / 4600 भाग भूमि स्वामी सुमित्रा बाई वेदा प्रताप जाति लोधी पता बोथी जागीर बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश 11 / 4600 भाग भूमि स्वामी भगवती पुत्री प्रताप जाति लोधी पता बोथी जागीर बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश 12 / 4600 भाग भूमि स्वामी मलखान पुत्र प्रता । जाति लोधी पता बोथी जागीर बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश 12 / 4600 भाग भूमि स्वामी रुमिता गुलाबसिंह जाति लोधी पता बोथी जागीर बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश 12 / 4600 भाग भूमि स्वामी दीनजाबाई पुत्री प्रताप जाति लोधी पता बोथी जागीर बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश 12 / 4600 भाग भूमि स्वामी विमला पुत्री प्रताप जाति लोधी पता बोथी जागीर बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश 12 / 4600 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26/2/2	1.150	0.025	-	-	जमर-1, बदूल-1
17	रजीतसिंह पुत्र अमरसिंह जाति लोधी पता बोथी जागीर बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26/3/1	0.518	0.005	-	-	
18	विनोदकुमारजाहुमानाशेकरजयपुत्रजगदीश राय राजबाईचंद्रकांताबाई पुत्री जगदीशराय जाति ब्राह्मण पता विदेशा मध्यप्रदेश 7767 / 12205 भाग भूमि स्वामी राजकुमार पुत्र जगदीशराय जाति ब्राह्मण पता विदेशा मध्यप्रदेश 1178 / 12208 भाग भूमि रवामी सुमावदव धनलाल जाति ब्राह्मण पता विदेशा मध्यप्रदेश 2246 / 12209 भाग भूमि स्वामी रामस्वरूप पुत्र जाकीनाथ जाति शर्मा पता विदेशा मध्यप्रदेश 1018 / 12209 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26/4	1.035	0.050	-	-	
19	भगवतासिंहपृष्ठिहल्करेम पिता मानसिंह जाति विश्वकर्मा पता विदेशा मध्यप्रदेश 630 / 1050 भाग भूमि स्वामी विनोदबाई पुत्री मानसिंह जाति कारीगर पता बोथी जागीर बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश 210 / 1050 भाग भूमि स्वामी गंगाबाई वेदा मानसिंह जाति कारीगर पता विदेशा मध्यप्रदेश 210 / 1050 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28/1	0.366	0.313	-	-	बदूल-5
20	उमरबाबासिंह पुत्र बर्थी जाति कारीगर पता बोथी जागीर बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28/2	0.366	0.177	-	-	-
21	सुरेन्द्र पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण पता बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	30/1	2.090	0.010	-	-	-
22	सुरेन्द्रकुमार पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण पता बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	31/1	2.041	0.100	-	-	-
23	महेन्द्रकुमार पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण पता बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	31/2	3.916	0.460	-	-	कंजी-2, जमर-3, बदूल-3
24	विमलबाई पन्ती मुन्नलाल जाति लोधी पता बोथी जागीर बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	132/1	0.395	0.180	-	-	जमर-1
25	धीरजसिंह पुत्र देवदेवसिंह जाति लोधी पता बोथी जागीर बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैक आफ इण्डिया शाखा बासीदा में बधक है ।	भूमि स्वामी	132/2	0.394	0.160	-	-	जमर-2, बदूल-3
26	वरदतासिंह पुत्र वलदेवसिंह जाति लोधी पता बोथीजागीर बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा बासीदा में बधक है ।	भूमि स्वामी	132/3	0.395	0.165	-	-	बदूल-5
27	कुलदीपसिंह पुत्र दिमतसिंह जाति लोधी पता बोथीजागीर बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा बासीदा में बधक है ।	भूमि स्वामी	132/4	0.394	0.245	-	-	जमर-2, बेरी-4
28	नारायणसिंहपृष्ठवेजनाथ तुलसालबाई पल्नी नारायणसिंह जाति खंगार पता बोथीजागीर बासीदा विदेशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तातरणीय	भूमि स्वामी	135/2	1.500	0.185	-	-	जमर-1
योग			28 किटा	24.357	2.965	0.220		

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नवरो तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासीदा जिला विदेशा एवं परियोजना प्रशासक को दैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासीदा जिला विदेशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रौशन कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र.—05—अ—82—2024—25—मालापुर—12001

बैतूल, दिनांक 27 दिसम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और 2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	6
बैतूल (म.प्र.)	बैतूल	मालापुर	2.425 हे.	गढ़ा मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र एवं निर्माण हेतु निजी भूमि एवं परिसंपत्ति का अर्जन

**अनुसूची -2**  
(प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकमा (हे.मे.)	अर्जित रकमा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	शिवपाल पिता भाद्रा कुन्डी सा. कुम्हारिया	13/1	0.268	0.121
2	दयाराम पिता तुलसीराम, काशीबाई बेवा तुलसीराम, फूलबंती पुत्री जयराम, शिवपाल पिता तुलसीराम, फूलबंती पुत्री तुलसीराम, अनिता पुत्री रामपाल, ताराबाई बेवा रामपाल, तारेन्द्र, अरुण पिता रामपाल, सावित्री, सुभद्रा, बंदना पुत्री रामपाल, अविनाश पिता मुन्नालाल कुन्डी सा. कुम्हारिया	55/2/1/1	0.203	0.203
3	गुरुदयाल पिता शोलू कुन्डी सा. कुम्हारिया	56/2/1	0.020	0.020
4	जैयवन्ती पिता गुरुदयाल, नितेश पिता गोकुल, सुदामा, नकुल पिता गुरुदयाल, रामबाई बेवा गोकुल, रूपेश पिता गोकुल, अनिता पिता गोकुल, अंगद पिता भारत, दुर्गा पुत्री भारत नाई सा. कोदारोटी	65/1	2.000	2.000
5	गोमा, रामा, छोटू पिता मंगरू, मीराबाई बेवा नानहू कुन्डी सा. कुम्हारिया	42/4/1	2.667	0.041
6	हीरू उर्फ हीराचंद पिता रामदास, रघुनाथ पिता रामदास सा. कुम्हारिया	13/2	0.202	0.040
	योग	6	5.360	2.425

(2) चूंकि गढ़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र एवं डिज निर्माण से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि भय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

पन्ना, दिनांक 3 जनवरी 2025

प्रकरण क्रमांक 20/अ-82 वर्ष 2023-24 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:-

- |     |           |   |                  |
|-----|-----------|---|------------------|
| (क) | जिला      | - | पन्ना            |
| (ख) | तहसील     | - | पन्ना            |
| (ग) | ग्राम     | - | पहाड़ीखेरा       |
| (घ) | क्षेत्रफल | - | 0.4900 हेक्टेयर, |

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	51	0.0900	निजी भूमि
2	52/1	0.0300	निजी भूमि
3	37	0.0900	निजी भूमि
4	35/1	0.0300	निजी भूमि
5	35/2	0.0100	निजी भूमि
6	34	0.0600	निजी भूमि
7	2/4	0.0100	निजी भूमि
8	2/2	0.0400	निजी भूमि
9	449/1	0.0200	निजी भूमि
10	450	0.0700	निजी भूमि
11	453	0.0400	निजी भूमि
योग	11	0.4900	

- [2] पहाड़ीखेरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम पहाड़ीखेरा तहसील व अनुभाग पन्ना
- [3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र.-21—अ.वि.अ.—भू—अर्जन—2024

नरसिंहपुर, दिनांक 8 जनवरी 2025

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये अन्य कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.-EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्ति किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगें। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :—

**अनुसूची 1**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. परियोजना का नाम          | : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये अन्य कार्यों हेतु। |
| 2. भूमि का विवरण            |  |
| 1. जिला                     | : नरसिंहपुर  |
| 2. तहसील                    | : करेली  |
| 3. ग्राम                    | : कुड़ी  |
| 4. प.ह.न.                   | : 18/6   |
| 5. नं.बं.                   | : 64   |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 8.005 हेक्टेयर   |

सं. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकबा हे.में
1	2	3	4	5
1	मगन पिता कन्छेदी जाति भरिया पता कुड़ी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	9/1 (s)	1.615
2	जीराबाई पति श्रीलाल जाति भरिया पता कुड़ी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	9/4 (s)	0.807
3	दीप्ति पत्नी रामकुमार जाति गौड़ पता साकेत नगर डिंडोरी नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	9/5 (s)	0.807
4	राजबल पिता दुल्ली जाति भरिया पता कुड़ी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	10/1 (s)	1.401
5	महेश पिता मोहन जाति भरिया पता कुड़ी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	10/2/1 (s)	0.467
6	मुलाम पिता मोहन जाति भरिया पता कुड़ी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	10/2/2 (s)	0.467
7	संतोष पिता मोहन जाति भरिया पता कुड़ी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	10/2/3 (s)	0.466
8	माया बाई पत्नी सत्यपाल जाति ढीमर कुड़ी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी बसंत पुत्र सत्यपाल जाति ढीमर पता कुड़ी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी संतोष पुत्र सत्यपाल जाति ढीमर पता कुड़ी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी मकुल पुत्री सत्यपाल जाति ढीमर कुड़ी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी आदर्श पुत्र रज्जू जाति भरिया पता नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी श्रद्धा पुत्री रज्जू जाति भरिया पता नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	10/3 (s)	1.400
9	तकन पिता जौहरिया जाति भरिया पता कुड़ी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हरप्रसाद पिता जौहरिया जाति भरिया पता कुड़ी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	11.(s)	0.575
कुल योग				8.005

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन 'और पुनर्वर्षस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शीतला पट्टले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र.—706—भू—अर्जन—2024

रीवा, दिनांक 27 अगस्त 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नौचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

→ अनुसूची :—

**(1) भूमि का वर्णन —**

(क) जिला	-	रीवा
(ख) तहसील	-	जवा
(ग) गाम	-	कोटवा
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	अतरैला
(ड) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकबा 0.242 है.

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. में	अर्जित रकबा हे. में	टिप्पणी			
					5	1	2
1	86/5/1	0.121	0.121	रमाकान्त पिता ददीराम जाति ब्राह्मण पता कोटवा जवा रीवा म.प्र. भूमि स्वामी			
2	86/5/2	0.121	0.121	मु. संखी बेयारामबक्स1/8, मुलीषकुमार पिता रामबक्स1/8, मुशीलकुमार पिता रामबक्स1/8, इन्द्रजीत पिता रामबक्स1/8, हि. रामभवन पिता रामानुज1/4, राजीवलोचन पिता रामानुज1/4 हि. ब्रा. सा. अतरैला भूमि स्वामी			

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - "जल जीवन मिशन के अन्तर्गत टमस समूह जल प्रदाय योजना हेतु जल शुद्धिकरण संयंत्र के निर्माण" में आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 015—आ—82—23—24—भू—अर्जन—260

सागर, दिनांक 7 जनवरी 2025

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन एवं विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियाँ लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं—

(1)	परियोजना का नाम	:	किशनगढ़ जलाशय
(2)	भूमि का विवरण	:	
1.	जिला	:	सागर
2.	तहसील	:	रहली
3.	ग्राम	:	किशनगढ़
4.	पट.हन्.—	:	35
5.	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	1.440 है।

### :: अनुसूची 2 ::

क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खंडों नं०	कुल रकवा	अर्जित रकवा			भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	लखन पिता फुंदीलाल 1/5 भाग, बीरेन्द्र पिता फुंदीलाल 1/5 भाग, नारायण पिता कलू 1/5 भाग, ताराबाई पिता कलू 1/5 भाग, उमाबाई पिता कलू 1/5 भाग, निवासी किशनगढ़ भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	95	1.05	0.00	0.00	1.05	सागोन—136 मिश्रित—33
				98	0.39	0.00	0.00	0.39
	योग:-		31	1.44	0.00	0.00	1.44	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय

अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी रहली जिला सागर के में दिनांक 13/02/2025 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने—अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियाँ, धारा 20 के अधीन किए गए मार्पों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी रहली जिला सागर एवं कार्यालय यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक—1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संदीप जी. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

क्र. 1129—भू—अर्जन—2024

सीधी, दिनांक 21 नवम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला	—	सीधी
(ख) तहसील	—	सिहावल
(ग) ग्राम	—	चितांग

(घ) नियीनभूमि का अर्जित क्षेत्रफल :- रक्कड़ा 0.270 है

क्र०	खसरा न०	अर्जित रक्कड़ा है	भूमिस्वामी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				5
1	5	0.070	सुशीला सिंह वेवा अवधेश प्रताप सिंह, वीरेन्द्र बहादुर सिंह, राम सिंह, रेखा सिंह, पूष्पा सिंह, राजकी पिता अवधेश प्रताप सिंह, मुसरेज सिंह वेवा शिवबहादुर सिंह, पूष्पराज सिंह, कृष्ण कुमार सिंह पिता शिवबहादुर सिंह	झगरौही पहुँच मार्ग लम्बाई 2.30 कि.मी.के निर्माण हेतु।
2	6	0.190	चुशीला सिंह वेवा अवधेश प्रताप सिंह, वीरेन्द्र बहादुर सिंह, राम सिंह, रेखा सिंह, पूष्पा सिंह, राजकी पिता अवधेश प्रताप सिंह, मुसरेज सिंह वेवा शिवबहादुर सिंह, पूष्पराज सिंह, कृष्ण कुमार सिंह पिता शिवबहादुर सिंह	
3	9	0.010	गोमती सिंह देवा लालविहारी सिंह 1/7, हीरालाल सिंह पिता लालविहारी सिंह 1/7, मुविमला सिंह वेवा राजेन्द्र बहादुर सिंह, पूष्पेन्द्र सिंह, संग्राम सिंह, दिलीप सिंह, सजय सिंह पिता राजेन्द्र बहादुर सिंह 1/7, जाति हात्रिय, मुसरेला सिंह वेवा सुरेन्द्र प्रताप सिंह, संदीप कुमार, प्रदीप कुमार, संदीप वेवा सुरेन्द्र प्रताप सिंह 1/7, वृजेन्द्र सिंह पिता लालविहारी सिंह 1/7, राजेन्द्र सिंह पिता लालविहारी सिंह 1/7, नामेन्द्र सिंह पिता लालविहारी सिंह 1/7	
नियीनभूमि का योग—		0.270		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपर्युक्त अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1131—भू—अर्जन—2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला	—	सीधी
(ख) तहसील	—	सिहावल
(ग) ग्राम	—	गजरही
(घ) नियीनभूमि का अर्जित क्षेत्रफल	—	रक्कड़ा 0.020 है

क्र०	खसरा न०	रक्कड़ा है	भूमिस्वामी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				5
1	14/2	0.020	लीलमणि पिता रामसुन्दर पटेल सा.हटवा वरहाटोला देह.	झगरौही पहुँच मार्ग लम्बाई 2.30 कि.मी.के निर्माण हेतु।
नियीनभूमि का योग—		0.020		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपर्युक्त अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वरोचिषि सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.